NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Hindu, Mumbai, 06/03/2026**

**Page No: 2, Size: 38.31cm × 36.38cm**

For tribal and Dalit families stranded on a landmass within the vast Indravati reservoir in Odisha's Kalahandi district, life remains in limbo. **Satyasundar Barik** travels to this remote, rarely visited region to examine how a project widely credited with ushering in prosperity has failed to positively transform the lives of the people there

# The promise of a bridge to development

Residents of N. Podapadar panchayat in Kalahandi district being ferried across the Indravati reservoir. BISWARANJAN ROUT

What does a person do when someone they love is fighting for life? It goes down to instinct: call an ambulance, rush to a hospital, and entrust them to trained medical professionals. In N. Podapadar gram panchayat in Odisha's Kalahandi district, that instinct collides with geography and despair.

Here, a medical emergency begins not with a phone call but with a trek. Someone must trek up a hill or two in search of a flicker of mobile network to dial an ambulance. Then comes the scramble to tie together a rope cot into a makeshift stretcher. The sick person is lifted and carried for up to 8 kilometres to the edge of a vast sheet of water - the Indravati reservoir.

A government-run boat ambulance may be waiting to ferry the patient across. If not, they wait, praying for the lone boat that serves 16 marooned villages. And if the crisis strikes at night, hope thins further.

Raisingh Majhi, the sarpanch of N. Podapadar, speaks of this reality almost matter-of-factly: "This is the cursed life we are condemned to, for sacrificing our land to the Indravati reservoir. This project turned the drought-prone Kalahandi into a green belt, now one of the country's largest rice-producing regions."

Majhi narrates how 16 villages tucked away in different hills got surrounded by water in the late 1990s after the irrigation project began to take shape. These villages received electricity only about a decade ago and have little access to formal education. About 3,000 villagers belonging to N. Podapadar panchayat have been surrounded by the vast water of Indravati reservoir for the last 30-odd years.

## Project and the islands

The Upper Indravati Hydroelectric Project (UIHEP) is a large multi-purpose river valley project. Its foundation was laid by then Prime Minister Morarji Desai in 1978 at Mukhiguda of Kalahandi district. In the 1970s and 1980s, child trafficking and recurring droughts had given Kalahandi the dubious identity of being one of India's poorest regions.

The project, approved by the erstwhile Planning Commission at an estimated investment of ₹208.15 crore, was planned over the Indravati river that originates in the hills of the Thuamul Rampur block of Kalahandi. The objective was to generate 600 megawatts of hydroelectricity and provide irrigation to 1.28 lakh hectares of land in Kalahandi.

The Upper Indravati reservoir was spread over 12,885 hectares, created in the valley areas of the Eastern Ghats. The foothills and valleys were where the villagers cultivated land.

The total expenditure went up to ₹1,427 crore when the project was completed. As many as 97 villages (44 from the undivided Koraput district and 53 from Kalahandi) were affected by the project due to the acquisition of 32,530.87 acres of land. Up to 17,000 people were displaced in four phases: 1989, 1990, 1991, and 1992. Those who opted not to move from their ancestral villages remained in the shadow of development.

Umi Daniel, who participated in a World Bank study on the rehabilitation and resettlement of land oustees, notes that compensation practices were markedly different then. "Unlike present-day rehabilitation policies, which assess multiple dimensions of loss before fixing compensation, the process in those days was largely cash-based," he says. "People were unaware of their entitlements. They were unable even to count the money. Villagers would hire others to count it for them and offer small tips in return," Daniel recalls.

Dillip Das, a Bhawanipatna-based social activist who moved the Odisha Human Rights Commission and the Orissa High Court as a petitioner over the plight of families stranded on the island within the Indravati reservoir, says that even the modest compensation proved difficult for many to manage. "Villagers often exhausted what was essentially a lifetime's cash reserve on social functions and local liquor. Middlemen also exploited their lack of awareness, frequently cheating them," he says.

## Life, cut off

The reservoir began filling up around 1996. "When people realised that their villages, located on higher ground in the middle of the reservoir, would not be submerged, they decided to stay back. By then, most had already spent their compensation money. They had no means to rebuild their lives outside the reservoir," says 51-year-old Khagapati Nayak of Tentulipadar, one of the island villages. He claims his family owned 40 acres and received compensation ranging between ₹1,800 and ₹2,000 per acre.

In neighbouring Bhitardunga village, 70-year-old Adhu Majhi recalls that his family received ₹60,000 as compensation for agricultural land, though he does not remember the exact acreage. The amount was divided equally among 12 brothers. Some invested in bullocks and ploughs while others spent the money on marriages. "Within a few years, not even ₹100 remained," he says. The Majhi family eventually returned to shifting cultivation and daily wage labour.

Nearly every household across the 16 villages under the lone N. Podapadar gram panchayat on the island has a similar story to tell. The State government had offered them rehabilitation closer to Junagarh, an urban centre in Kalahandi district but villagers opted to stay on their ancestral land.

"For the next 20 years, villagers managed without electricity. Life would usually come to a halt before sunset. Only in 2016 did the 16 island villages begin to be connected with electricity. It was an irony that the Indravati produced hydroelectricity that travelled thousands of kilometres to other States, but our villages, barely 40 km away from the hydropower station, remained untouched for two decades," says Sankar Harijan, another resident of Tentulipadar village.

In the initial years, there were no roads. Villagers would carve out serpentine paths across the hills to reach neighbouring settlements. Nearly three decades later, only a 300-metre stretch has been concreted. While other roads are visible, their motorability largely depends on the driving skills of island residents, who have no choice but to navigate half-laid metal tracks.

In summer, a roadway opens, which can be accessed by four-wheel drives and tractors from Koraput and Rayagada while Fibre Reinforced Plastic (FRP) floating jetties and FRP boats are the only way to access the 16 villages. "More than 250 people have lost their lives by drowning in the past three decades. Boat capsizes are common," says Das, adding that the last incident took place on February 28, when a man went missing and two managed to swim to safety.

Sani Majhi, who operates the FRP floating jetty at B. Cheptaghat, recollects how the jetty was swept away in 2024.

## Pipe dream

The Odisha government, in its response to the National Human Rights Commission (NHRC) of India and the Orissa High Court, stated that bridges had long been proposed to connect the cut-off villages with the mainland and ease movement within N. Podapadar panchayat. A major high-level bridge between Kenduguda and Sikakuji Ghat was planned at an estimated cost of ₹54 crore 11 years ago. However, the project never took off.

"Soil testing and other ancillary work have been completed. The tender has been floated for survey and design of the project," Brundha D, then District Magistrate of Kalahandi, informed the NHRC, in October 2025. There is still no sign of the bridge.

Similarly, locals allege that work had begun on a smaller bridge at B. Cheptaghat, which could have connected the 16 villages to Thuamul Rampur, the block headquarters. The project, however, was abandoned midway.

The Western Odisha Development Council (WODC) allotted ₹60 lakh in 2014-15 for the construction of a Bailey bridge to connect Ghutrukhal and Tentulipadar. A decade later, the bridge is nowhere to be seen.

Ask Damu Majhi, a resident, how the absence of road connectivity affects daily life, and he recounts his ordeal. "I received ₹1.30 lakh for a dwelling unit under the Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin, but it proved grossly inadequate. I had to transport building materials by boat and then carry the cement and stones manually from the reservoir's edge to my home. The lack of connectivity forced me to spend much more to build a small house," he says.

The gravest impact of poor connectivity is on healthcare. Phulamani Nayak, an Accredited Social Health Activist (ASHA) from Bhitardunga, says, "In my career, I have witnessed two women deliver babies on a boat and one on the roadside. Many prefer to give birth at home due to the difficulty of reaching hospitals." Sarpanch Majhi says that just a fortnight ago, a pregnant woman from Kolatikudruput village died because she could not be taken to a hospital in time.

*satyasundar.b@thehindu.co.in*

Free Press Journal, Mumbai, 06/03/2026
Page No: 12, Size: 8.73cm × 12.75cm

# NHRC issues notice over blast at explosives unit in Nagpur

The National Human Rights Commission (NHRC) sought an explanation from the Maharashtra government on Thursday, regarding the deaths of at least 18 workers in a blast at an explosives manufacturing unit at Raulgaon in Nagpur. According to reports, the blast occurred in the factory's packing section on March 1. Taking note of the possible human rights implications of the incident, the NHRC has issued notices to the State's Chief Secretary and the Director General of Police, asking them to submit a detailed report within two weeks. The report is expected to provide updates on progress in the investigation and the status of compensation for the injured.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Hindustan Times, Mumbai, 06/03/2026**

**Page No: 4, Size: 4.95cm × 30.93cm**

# AFTER DEADLY BLAST, STATE ORDERS CLOSURE OF EXPLOSIVES UNIT IN NAGPUR

**Faisal Malik**
faisal.malik@htlive.com

**MUMBAI:** Five days after a deadly explosion at an explosives manufacturing unit in Nagpur claimed 19 lives and injured 23 others, the Maharashtra government has issued a closure order for the detonator assembly unit of SBL Energy Limited, located at Raulgaon in Nagpur district. The blast, which occurred on March 1, prompted the state to take immediate action, with Maharashtra's Labour Minister, Akash Fundkar, revealing the closure decision during the state assembly on Thursday.

The government has also initiated a divisional inquiry into the incident and intends to pursue charges under Section 302 of the Indian Penal Code (IPC) if the investigation reveals negligence or criminal intent. "We have already ordered the shutdown of the company and a probe by the divisional commissioner. If the report suggests negligence, we are prepared to book those responsible under Section 302 of the IPC," Fundkar confirmed.

The minister further disclosed that 21 individuals, including the owner of the company, have been booked for culpable homicide due to non-compliance with safety protocols. "This is the first time an owner has been booked in such a case," Fundkar stated. He emphasised that the government would not hesitate to hold accountable anyone found guilty, including labour officials, if negligence is discovered on their part.

Despite the company undergoing six safety audits in the past, it had been repeatedly cited for failing to meet safety standards. Fundkar also revealed that each audit led to legal action for non-compliance.

In a parallel development, the National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the explosion, issuing a notice to chief secretary Rajesh Agarwal and director general of police Sadanand Date. The NHRC has demanded a detailed report within two weeks, seeking updates on the condition of the injured, the progress of the investigation, and the status of compensation for the victims and the families of the deceased.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Indian Express, Mumbai, 06/03/2026**

Page No: 6, Size: 18.36cm × 16.46cm

# NHRC takes suo motu cognisance of Nagpur explosives factory blast

**Express News Service**
*Mumbai, March 5*

THE NATIONAL Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report stating that at least 18 workers died and 24 others were injured after an explosion at an explosives manufacturing unit at Raulgaon in Katoltaluka area of Nagpur, Maharashtra.

The press release issued on Thursday mentioned that the incident happened in the factory's packing section around 7 am on Sunday, 1st March 2026. Several victims have suffered severe burn injuries ranging from 30 to 80 per cent apart from serious trauma.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of human rights violations of the victims.

Therefore, it has issued notices to the Maharashtra Chief Secretary and the Director General of Police, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of health of the injured persons and investigation as well as disbursement of compensation to the injured and to the next of kin of the deceased.

According to the media report, carried on 2nd March 2026, preliminary findings have suggested possible violations of Explosives and the Factories Acts' provisions. Reportedly, a case of culpable homicide has been registered against the factory management.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Hindustan Times, Patna, 06/03/2026**

Page No: 7, Size: 14.45cm × 10.16cm

Hindustan Times

# NHRC seeks reply in professor's death case

**BHOPAL:** The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint alleging that a female assistant professor at the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, died by suicide following alleged harassment by her Head of Department (HOD) and sought an action taken report from the authorities concerned in 15 days. **ANI**

Times of India, Mumbai, 06/03/2026
Page No: 8, Size: 8.55cm × 23.44cm

# NHRC seeks report on Boisar gas leak in 2 wks

**Palghar:** The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the toxic oleum gas leak in Boisar Midc in which around 2,600 people, including 1,600 school students, were evacuated. No one was hurt in the gas leak that took place at Bhageria Industries Ltd on March 2.

Taking note of the incident, NHRC has issued a notice to the state chief secretary seeking a detailed report within two weeks on the circumstances surrounding the gas leak and the measures taken by the administration. Police have already registered an FIR against the company management and are awaiting reports from Directorate of Industrial Safety and Health and Maharashtra Pollution Control Board. **—Vishal Rajemahadik**

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Jansandesh Times, Lucknow, 06/03/2026**

Page No: 13, Size: 14.31cm × 14.66cm

# भोपाल एम्स आत्महत्या मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

## भोपाल पुलिस व एम्स के प्रशासन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एम्स में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि ने अपने एचओडी परवेज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। कई बार मामले की शिकायत की। लेकिन, संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई। अंत में तंग आकर असिस्टेंट प्रोफेसर ने मौत को ही गले लगा लिया। वहीं, अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई? इस बारे में एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बात की।

प्रियंक कानूनगो ने गुरुवार को कहा कि हमने इस मामले में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, भोपाल पुलिस और एम्स के प्रशासन को नोटिस जारी किया है। उनसे हमने इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब की है। हमने रिपोर्ट में पूछा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तीन-तीन बार एक महिला चिकित्सक एम्स के प्रशासक को शिकायत करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी शिकायत करने के बावजूद भी कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अंत में स्थित इस कदर चुनौतीपूर्ण हो गई कि महिला चिकित्सक को मौत को ही गले लगाना पड़ गया।

प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि हमने तीनों को इस मामले में नोटिस जारी कर संतुष्टिजनक जवाब 15 दिनों के अंदर मांगा है। हमने नोटिस में मामले की गंभीरता पर सवाल उठाया और पूछा है कि आखिर इतनी बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।उन्होंने कहा कि हमने कार्यस्थल पर मौजूद पोश कमेटी से शिकायत मांगी है। हमने शिकायत में कई सवालों के जवाब मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यह है कि इन तीन सालों में उस महिला चिकित्सक ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

इस शिकायत के अलावा दूसरे कई मामलों को लेकर उस महिला चिकित्सक ने जवाब मांगे हैं, इस बारे में भी हमने जवाब मांगे हैं। हमने इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मांगी है।उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी-भी डॉक्टर का इस तरह से दबावपूर्ण माहौल में काम करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अस्पताल प्रशासन इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे पास जब इस मामले के संबंध में पूरी जांच रिपोर्ट आएगी, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**DJ Rashtriya Sanskaran, Delhi, 06/03/2026**
Page No: 06, Size: 24.84cm × 29.84cm

# डा. रश्मि आत्महत्या एम्स भोपाल को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

- पूछा- यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की
- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, एम्स निदेशक और पुलिस आयुक्त को भेजा नोटिस

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल**

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( एम्स) भोपाल की सहायक प्राध्यापक डा. रश्मि वर्मा की आत्महत्या का संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस आयुक्त को नोटिस भेज कर 15 दिनों में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने प्राधिकारियों से पाश (प्रीवेंशन आफ सेक्सुअल हैरेसमेंट) समिति की पूरी जानकारी, एफआइआर की कापी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी है।

प्रियंक कानूनगो ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि डा. रश्मि ने आत्महत्या से पहले विभाग के एचओडी डा. मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध तीन बार औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपों के अनुसार, डा. यूनुस द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित, पेशेवर कामकाज में बाधा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था। डा. रश्मि ने संस्थान के शिकायत निवारण तंत्र से मदद मांगी थी, लेकिन एम्स प्रबंधन ने आरोपित डा. यूनुस के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया।

आयोग ने विशेष रूप से एम्स की आंतरिक शिकायत समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आयोग यह जानना चाहता है कि यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायतों पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा भोपाल पुलिस से भी जवाब मांगा गया है कि डा. मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना की धाराओं के तहत अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। डा. रश्मि वर्मा ने 11 दिसंबर को एनस्थिसिया दवाओं की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की थी। उनको बचाने के लिए उनके साथी अगले 23 दिनों तक जंग लड़ते रहे।

# सीवरेज चैंबर में मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

**नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर में सीवरेज चैंबर में हुई दो मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन दोनों से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि दोनों आयुक्त बताएं कि इस मामले में जांच की स्थिति क्या है। पीड़ितों के स्वजन को अगर कोई मुआवजा दिया गया हो तो उसका विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

गौरतलब है कि दो मार्च 2026 को इंदौर के चोइथराम मंडी क्षेत्र में सीवरेज चैंबर में उतरे दो कर्मचारियों की मौत हो गई थी। ये कर्मचारी चैंबर में गिरे पाइप के एक टुकड़े को निकालने के लिए उतरे थे, तभी जहरीली गैसों के कारण वे बेहोश हो

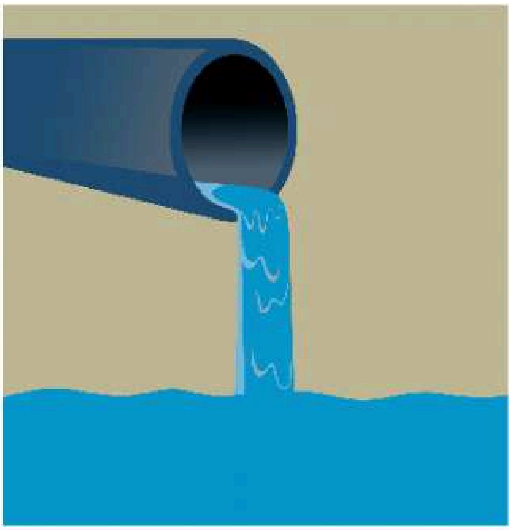

गए। उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त और पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

**Rajasthan Patrika, Bhopal, 06/03/2026**

**Page No: 2, Size: 6.80cm × 14.87cm**

**महीनों से दबा मामला** आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

# एम्स में महिला डॉक्टर की मौत मामले में एनएचआरसी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

**भोपाल @ पत्रिका.** एम्स भोपाल की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। महीनों से दबे मामले में आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स भोपाल प्रशासन और भोपाल पुलिस से 15 दिन के भीतर विस्तृत जांच और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने रिपोर्ट में पीओएसएच कमिटी की कार्रवाई, एफआइआर और डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट पर नोटिस जारी किए जाने की सूचना दी।

**आयोग ने कसा शिकंजा, सोशल मीडिया पर किया पोस्टः** अपने पोस्ट में मामले को गंभीर बताते हुए एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने लिखा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संस्थान की कार्यप्रणाली और शिकायत निपटान व्यवस्था की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, एम्स भोपाल की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने कथित प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान से परेशान होकर बेहोश करने वाली दवा की ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया।

## शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं

परिवार और शिकायत के अनुसार, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष पर लगातार मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर ने तीन बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन संस्थान स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे संस्थान पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।

## पीओएसएच कमेटी की भूमिका जांच के घेरे में

आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने वाली पीओएसएच कमेटी की कार्यवाही का पूरा विवरण मांगा है। यह देखा जाएगा कि शिकायत मिलने के बाद क्या कदम उठाए गए।

**पुलिस से भी मांगी रिपोर्टः** भोपाल पुलिस से भी विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई।

**Deshbandhu, Bhopal, 06/03/2026**
Page No: 06, Size: 16.54cm × 14.23cm

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने केथन बांध में किया नौका पूजन

# दबंगों द्वारा मछुआरों को धमकाने पर दर्ज कराई एफआईआर

**सिरोंज, देशबन्धु।** गुरूवार को अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो केथन शासकीय जलाशय पर जलक्षेत्रीय भाई समाज मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित एवं वीरंगना फूलन देवी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति द्वारा श्री घटोईया बाबा की पूजा अर्चना कर नौका पूजन और ध्वजारोहण किया गया। साथ कार्यक्रम के विशेष अतिथि माझी मछुआ नाविक श्रमिक संघ के भोपाल संभाग अध्यक्ष इंदर सिंह केवट द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को मछुआरों की समिति के बारे में अवगत कराया गया और गत कई वर्षों से उक्त जलाशय मछुआरों के पास न होकर एक अन्य दबंग व्यक्ति के पास होने की बात कहीं। उसके साथ ही प्रियंक कानूनगों ने सभी की हिस्सेदारी की बात कही और सरकार द्वारा मछुआरों को दी जारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उसके साथ ही भोपाल बासौदा सिरोंज बायपास मार्ग पर स्थित जवारी जलाशय भी पहुँचकर फूलन देवी सहित भगवानों के चित्रों पर श्री कानूनगो एवं इंदर सिंह केवट द्वारा माल्यार्पण कर ध्वजारोहण कर समिति में शामिल महिला सदस्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने का आग्रह किया। मछुआरों की समस्याओं पर चर्चा कि गयीं जवारी जलाशय के लिये आंवटित समिति वीरंगना फूलन देवी मत्स्य उघोग सहकारी समिति अध्यक्ष कपिल केवट सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि जबसे बांध का मछली पालन के लिये पट्टा आवंटन हुआ तभी से तालाब के पास स्थित व्यक्तियों द्वारा तालबा में मछली पालन करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिसपर तत्काल मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगों ने सभी समिति के सदस्यों से कहाकि तालाब सरकार ने दिया है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। और तत्काल फोन कलेक्टर एवं एसपी को अवगत कराकर समिति अध्यक्ष को थाने पहुँचकर एफआईआर कराने के लिये थाने भेजा गया।

स्वयं पहुँचे सदस्य जब हुई एफआईआर- मालूम होकि करीब आधे घंटे पूर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो द्वारा समिति अध्यक्ष को थाने भिजवाया गया लेकिन तबतक एफआईआर नहीं हुयी। करीब आधे घंटे बाद स्वयं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंग कानूनगो स्वयं थाने पहुँचे जब पुलिस द्वारा पीड़ित से आवेदन लिया गया। जिसपर पुलिस ने कांग्रेस नेता अशोक यादव सहित ओम यादव, राजीव यादव एवं उनके चौकीदार के विरूद्ध बीएनएस की धारा 296(बी), 351(1), 351(4), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

**Amar Ujala, Gorakhpur, 06/03/2026**
Page No: 4, Size: 23.68cm × 23.12cm

# एनएचआरसी पहुंचा बालक की मौत का मामला..अब भी कई जगहों पर खुले नाले

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम-एसएसपी को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

कन्हैया (फाइल फोटो)

गोरखपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के मुड़िला उर्फ मुंडेरा निवासी श्याम सुंदर चौरसिया के बेटे कन्हैया (12) की खुले निर्माणाधीन नाले में गिरकर हुई मौत के मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, घटना के बाद कमिश्नर के निर्देश पर शहर के खुले नालों को ढंकने का काम शुरू किया गया, लेकिन अभी कई जगहों पर नाला खुले ही हैं और खतरा बना हुआ है।

**18** फरवरी को 11 साल के बालक की खुले निर्माणाधीन नाले में गिरने से हुई थी मौत

18 फरवरी 2026 को वार्ड नंबर 5, मानबेला, राप्तीनगर विस्तार कॉलोनी से कन्हैया चौरसिया घर लौट रहा था। रास्ते में निर्माणाधीन नाले में साइकिल सहित गिर गया।

20 फरवरी को प्रकाशित खबर।

घटना के दौरान नाले में रखी अतिरिक्त लोहे की सरिया हटाई नहीं गई थीं और ढक्कन भी नहीं लगाया गया था। सरिया उसके शरीर में घुस गई, जिससे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत परिवार को सूचना दी और कन्हैया को बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में परिवार ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना का संज्ञान लेते हुए डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉ. कौस्तुभ को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दो हफ्ते के अंदर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें बालक के परिवार को दिए गए मुआवजे की स्थिति और ठेकेदार की जिम्मेदारी के बारे में जानकारी शामिल है।

आयोग ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट में बताए गए तथ्य सही हैं, तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। मामले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ निर्माण कार्य में जिम्मेदार ठेकेदार की लापरवाही की भी पड़ताल की जाए।

बालक की मौत ने न सिर्फ परिवार को दुखी किया है बल्कि इलाके में सुरक्षा और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। एनएचआरसी की नोटिस के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मामले की पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं।

### पिता ने वेलेंटाइन डे के दिन कन्हैया को गिफ्ट की थी साइकिल

*श्याम सुंदर चौरसिया के तीन बेटों में कन्हैया सबसे बड़ा था। उसके अलावा छह साल का शिवा और आठ साल का किशन है। श्याम सुंदर सब्जी बेचते हैं। उनकी पत्नी साधना गृहिणी हैं। कन्हैया को साइकिल चलाने का बहुत शौक था। 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के दिन 2600 रुपये की एक साइकिल खरीदकर कन्हैया को गिफ्ट किया था। चार दिन बाद ही यह घटना हो गई।*

## कहीं डाले स्लैब, बनाई दीवार... कहीं वैसे ही छोड़ दिया

**पड़ताल**

संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। शहर में नालों पर स्लैब लगाने का काम जिम्मेदारों ने अधूरा ही छोड़ दिया। इससे राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि, कई स्थानों पर स्लैब डाले गए हैं और नालों के किनारे दीवार भी चलाई गई है।

पार्क रोड पर एक निजी मॉल के सामने कार्मल रोड के किनारे नाला अभी खुला है, स्लैब नहीं डाला गया है। इसी तरह फिराक चौराहा से बेतियाहाता की ओर जाने वाले मार्ग पर बायीं तरफ भी नाला खुला पड़ा है। राहगीर सुनील जायसवाल ने बताया कि अगर संभलकर नहीं चले तो नाले में गिर सकते हैं।

काली मंदिर से आगे दाउदपुर रोड पर नाले की पुलिया की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। यहां के निवासी रतन श्रीवास्तव का कहना है कि इस रोड पर लोगों की आवाजाही ज्यादा है, रात में कभी भी हादसा हो सकता है।

वहीं, मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने भी दो स्थानों पर नालों पर स्लैब नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा मानबेला में पत्रकारपुरम कॉलोनी के पीछे सड़क के दोनों तरफ नाले खुले हैं। इसके आगे जाने पर भी एक नाले पर जगह-जगह स्लैब नहीं हैं।

इस संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि नगर निगम की ओर से लगभग सभी नाले ढंक दिए गए हैं। कुछ जगहों पर दीवार बनाई जा रही है।

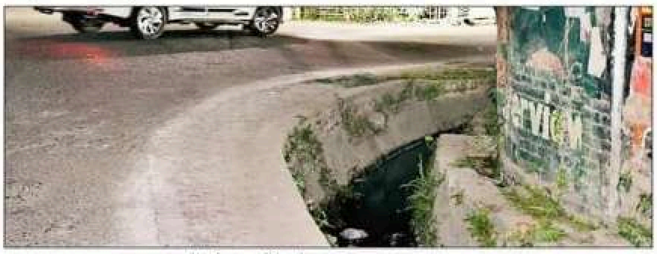

सेंट एंड्र्यूज कॉलेज के पास खुला नाला। अमर उजाला

### 3.50 लाख मिला था कैश, मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का आश्वासन

*बालक की मौत के बाद गुलरिहा पार्षद प्रतिनिधि यूसुफ आजाद के साथ मृतक के पिता श्याम सुंदर चौरसिया, चाचा व गांव से दो अन्य लोग जीडीए ऑफिस पहुंचे थे। वहां जीडीए सचिव से मुलाकात की। जीडीए सचिव और एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने मुआवजे के तौर पर 3.50 लाख रुपये नकद दिया। इसके साथ ही अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद दिलवाने का आश्वासन दिया है। उधर, घटना के बाद देर शाम जीडीए की टीम घटना स्थल पहुंची थी और नाले को ढक दिया गया था।*

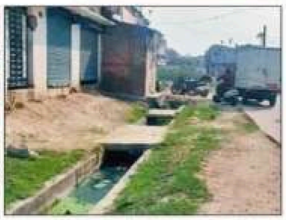

सिटी मॉल के सामने और मानबेला में खुले नाले। संवाद

**Dainik Jagran, Gorakhpur, 06/03/2026**
Page No: 5, Size: 44.95cm × 19.21cm

# सर्जरी के बाद संक्रमण में मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

- मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बालक की मौत के मामले का भी लिया स्वतः संज्ञान
- दो सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट, पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की स्थिति भी पूछी

**जागरण संवाददाता, गोरखपुरः** मानबेला क्षेत्र के खुले नाले में गिरने से 11 वर्षीय कन्हैया की मौत और न्यू राजेश हाईटेक हास्पिटल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद फैले संक्रमण और कई मरीजों में दृष्टि हानि मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने दोनों घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की स्थिति भी आयोग ने पूछी है।

आयोग के अनुसार 20 फरवरी 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक 19 फरवरी 2026 को गोरखपुर में एक 11 वर्षीय बालक की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई थी। बताया गया कि जिस स्थान पर नाले का निर्माण कार्य चल रहा था, वहां नाला खुला पड़ा था और उसके आसपास घनी झाड़ियां भी थीं। इस कारण वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि यदि समाचार में प्रकाशित तथ्य सही हैं तो यह मामला मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा है। इसी आधार पर आयोग ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी संबंधित अधिकारियों से निर्माणाधीन खुले नाले को ढकने की शिकायत की थी, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग ने इसी पहलू को गंभीर मानते हुए मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है।

वहीं, मोतियाबिंद सर्जरी के बाद फैले संक्रमण के मामले में पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच आवश्यक बताया है। आयोग ने अपने पत्र में मीडिया रिपोर्ट के हवालों से बताया है कि एक फरवरी को करीब 30 मरीजों की मोतियाबिंद सर्जरी के 24 घंटे के बाद 18 मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। जांच में पाया गया कि कुल 18 मरीजों की आंखों में संक्रमण हो गया है। इनमें से नौ मरीजों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनकी संक्रमित आंख निकालनी पड़ी। एनएचआरसी के मीडिया एवं संचार प्रकोष्ठ के उप निदेशक जैमिनी कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी सूचना के अनुसार आयोग पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

**Source: [https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/national-human-rights-commission-takes-suo-motu-cognisance-of-boisar-gas-leak-seeks-report-in-2-weeks/articleshow/129109390.cms](https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/national-human-rights-commission-takes-suo-motu-cognisance-of-boisar-gas-leak-seeks-report-in-2-weeks/articleshow/129109390.cms)**

National Human Rights Commission takes suo motu cognisance of Boisar gas leak, seeks report in 2 weeks

Mar 6, 2026, 04.14 AM IST

Palghar: The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of the toxic oleum gas leak in Boisar in which around 2,600 people, including 1,600 school students, were evacuated. The gas leak took place at Bhageria Industries Limited, located at plot D-17 in the Boisar MIDC area in Palghar district, on March 2. No one was hurt in the incident.

Authorities had said that the oleum gas leak originated from the level indicator glass of a 2 KL (2,000–2,500 litre capacity) day tank. Initially minor, the leak intensified and resulted in the release of dense fumes containing sulfur trioxide. The thick, fog-like fumes significantly reduced visibility on the factory premises and spread nearly 4-5km in the locality.

Taking note of the incident, NHRC has issued a notice to the chief secretary of Maharashtra, seeking a detailed report within two weeks on the circumstances surrounding the gas leak and the measures taken by the administration.

The NHRC press release, released on March 5, said: "The commission observed that if the media reports are accurate, the incident raises serious concerns regarding the violation of human rights, particularly relating to public safety and industrial hazards." It also mentioned: "The NHRC has directed the Maharashtra government to submit details regarding the cause of the incident, the response measures taken, the impact on local residents, and steps proposed to prevent similar accidents in the future."

Police have already registered an FIR under relevant sections against the company management and are awaiting reports from the Directorate of Industrial Safety and Health (DISH) and the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) to further investigate the incident.

New Indian Express, Online News, 06/03/2026

**Source: https://www.newindianexpress.com/nation/2026/Mar/05/nhrc-orders-probe-into-aiims-bhopal-assistant-professors-suicide-seeks-report-in-15-days**

NHRC orders probe into AIIMS Bhopal assistant professor’s suicide, seeks report in 15 days

The complainant alleged that the assistant professor died by suicide on January 5, 2026, due to severe mental harassment and a toxic work culture created by the HoD of Trauma and Emergency Medicine, AIIMS Bhopal.
Express News Service
Updated on: 06 Mar 2026, 2:10 am
2 min read

BHOPAL: Taking cognizance of the recent suicidal death of a female assistant professor of the All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS-Bhopal) allegedly following harassment by her male head of department (HoD), the National Human Rights Commission (NHRC) has ordered inquiry and sought an action taken report in 15 days.

A complaint was received by the NHRC in the matter related to January 5, 2026 suicidal death by the female assistant professor. The complainant alleged that the assistant professor died by suicide on January 5, 2026, due to severe mental harassment and a toxic work culture created by the HoD of Trauma and Emergency Medicine, AIIMS Bhopal. The complainant further alleged that despite sending three emails regarding her (assistant professor’s) distress, the administration took no action.

The complainant further alleged institutional negligence, as no FIR has been registered and previous complaints by other female doctors were suppressed. The complainant sought the intervention of the Commission in the matter and has requested a high-level independent inquiry into the assistant professor’s death, the HoD’s accountability and registration of FIR for human rights violation.

The NHRC bench presided by Commission’s member Priyank Kanoongo took cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, in the matter. Following it, the Registry was directed to issue a notice to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into.

The Bhopal Police Commissioner, Director, AIIMS-Bhopal have been directed to get the allegations made in the complaint inquired into and furnish the copies of FIR, PM report and other relevant documents in the matter.

They are also directed to provide the details Prevention of Sexual Harassment (POSH) Committee including the criteria for being the Member of the Committee, statements of Committee Members, activities of last 3 years performed by the committee.

Further, the Commission has directed to provide copies of complaints received in the last three years, including complaints filed by the victim and action taken on all complaints and copies of all statements of former employees/doctors, as mentioned by the complainant.

The NHRC has directed the authorities to submit an Action Taken Report (ATR) within 15 days.

**Source: [https://www.psuconnect.in/ministry-of-india-news/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-indore-sewer-deaths-seeks-report-from-authorities](https://www.psuconnect.in/ministry-of-india-news/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-indore-sewer-deaths-seeks-report-from-authorities)**

NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Indore Sewer Deaths, Seeks Report from Authorities

by- Ganesh K
5 Mar 2026

NHRC has taken suo motu cognizance of the death of two sanitation workers in a sewer chamber in Indore and sought a detailed report from municipal authorities and police within two weeks.

Indore: The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of the reported death of two municipal sanitation workers in a sewer chamber in Indore, Madhya Pradesh.

According to a statement issued on March 5, 2026, the Commission has sent notices to the Indore Municipal Corporation and the Police Commissioner, asking them to submit a detailed report within two weeks regarding the incident.

The NHRC stated that if the contents of the media report are true, the incident raises a serious issue of violation of the human rights of the victims.

The Commission has asked authorities to include the status of the investigation in the report, along with details of compensation, if any, provided to the next of kin (NoK) of the deceased workers.

As per media reports published on March 3, 2026, the two workers entered a sewer chamber on March 2, 2026, to retrieve a portion of a suction tanker pipe that had fallen during a de-watering operation. During the process, they reportedly lost consciousness due to toxic gases inside the chamber.

They were later pulled out and rushed to a hospital, where doctors declared them dead.

The NHRC has emphasized the need for a thorough investigation into the circumstances of the incident and accountability to ensure the safety and rights of sanitation workers.

The News Mill, Online News, 06/03/2026

## Source: https://thenewsmill.com/2026/03/nhrc-seeks-report-on-aiims-bhopal-assistant-professors-suicide-amid-harassment-claims/

NHRC seeks report on AIIMS Bhopal assistant professor’s suicide amid harassment claims

TNM (With ANI Inputs) | Published On: Mar 5, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint involving the suicide of a female assistant professor at AIIMS Bhopal, reportedly linked to harassment by her Head of Department, and has requested an action taken report from the relevant authorities within 15 days.

The Commission, led by member Priyank Kanoongo, directed that notices be issued to the Secretary of the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi; the Director of AIIMS Bhopal; and the Commissioner of Police, Bhopal. It has asked these authorities to conduct an inquiry into the allegations and to submit documents including the FIR copy, the post-mortem report, and other case-related records within the stipulated timeframe.

Speaking to ANI, NHRC member Priyank Kanoongo stated, “We have received a complaint that a female anaesthetist assistant professor committed suicide because of her HOD’s harassment. This incident is two months old, but the complainant said that there was no proper action taken in the case. The victim had complained three times against her HOD to the administration before her death. There are allegations that no action was taken on those complaints, resulting in her taking the serious step of committing suicide.”

He added, “The fact that there was no action taken even after complaints is quite worrying. Therefore, we have sent a notice asking for a detailed report regarding the case within 15 days to the secretary of Health Ministry of India, Bhopal Police and AIIMS administration. We have asked for FIR copy, post-mortem report and information about the institute’s Internal Complaints resolution procedure, including the Prevention of Sexual Harassment (POSH) committee.”

According to a notice issued on March 2, the complainant alleged that the Assistant Professor at AIIMS Bhopal died on January 5, 2026, due to severe mental harassment and a toxic work culture allegedly created by her Head of Department. The complainant further stated that despite sending emails regarding her distress, the administration took no action.

It was also alleged that no FIR was registered and that previous complaints by other female doctors were suppressed. The complainant called for the Commission’s intervention and requested a high-level independent inquiry into the death.

The NHRC observed that the allegations prima facie indicated violations of the victim’s human rights and issued the notices to the concerned authorities, seeking a detailed action taken report within 15 days.

## Source: [https://www.lokmattimes.com/national/nhrc-seeks-report-on-alleged-harassment-linked-death-of-aiims-bhopal-assistant-professor/](https://www.lokmattimes.com/national/nhrc-seeks-report-on-alleged-harassment-linked-death-of-aiims-bhopal-assistant-professor/)

NHRC seeks report on alleged harassment-linked death of AIIMS Bhopal assistant professor

By IANS | Updated: March 5, 2026 10:15 IST

New Delhi, March 5 The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Union Health Ministry, ...

New Delhi, March 5 The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Union Health Ministry, the Director of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Bhopal, and the Commissioner of Police, Bhopal, over allegations that an assistant professor at the institute died due to severe mental harassment and a toxic work environment.

A Bench presided by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the doctor died on January 5, following prolonged mental harassment allegedly caused by the "toxic" work culture in the Trauma and Emergency Medicine department at AIIMS Bhopal.

According to the complaint, the victim had sent three emails expressing distress before her death, but the institute administration allegedly failed to take action.

It was further alleged that institutional negligence occurred as no FIR was registered, and previous complaints by other female doctors were suppressed.

The complainant sought the NHRC's intervention and requested a high-level independent inquiry into the circumstances surrounding the death, along with accountability of those responsible and registration of an FIR in the matter.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex human rights body issued the notice under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

It has directed the Secretary, Union Ministry of Health and Family Welfare, to inquire into the allegations.

The NHRC has also asked the Bhopal Police Commissioner and the Director of AIIMS Bhopal to conduct an inquiry and furnish copies of the FIR, post-mortem report, and other relevant documents in the case.

Further, the authorities have been directed to provide details of the institute's POSH (Prevention of Sexual Harassment) Committee, including the criteria for selection of its members, statements of committee members, and details of its activities in the past year.

They have also been asked to submit copies of complaints received in the last three years, including those filed by the victim, along with the action taken reports and statements of former employees or doctors mentioned in the complaint.

The NHRC has sought an Action Taken Report (ATR) from the concerned authorities within 15 days for its perusal.

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

**Source: https://www.tribuneindia.com/news/punjab/hc-seeks-punjab-dgps-affidavit-on-gurdaspur-encounter-says-cant-shut-our-eyes-to-questions/**

HC seeks Punjab DGP’s affidavit on Gurdaspur 'encounter'; says ‘can’t shut our eyes’ to questions

The case surrounds the alleged encounter of Ranjit Singh after he joined the court proceedings through video-conferencing
Saurabh Malik
Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 10:20 PM Mar 05, 2026 IST
The Punjab and Haryana High Court on Thursday asked Punjab DGP Gaurav Yadav to file an affidavit by March 17, explaining the circumstances surrounding the alleged encounter of Ranjit Singh in Gurdaspur after he joined the court proceedings through video-conferencing.
“We can’t shut our eyes (to the questions being raised around the encounters),” the bench of Justice Anupinder Singh Grewal and Justice Deepak Manchanda observed after amicus curiae Tanu Bedi referred to reports on alleged encounter killings in Punjab, submitting that the incidents appeared to reflect a discernible pattern.
Appearing for the state, senior advocate Puneet Bali submitted that proper procedure was being followed in accordance with the guidelines issued by National Human Rights Commission (NHRC). Thus, the matter was also being looked into by a magistrate.
Bali also outlined steps being taken by the government to strengthen policing and ensure accountability. He submitted that a new transfer policy for police officers above the rank of Inspector had been finalised and forwarded for Cabinet approval.
During the proceedings, the DGP also told the court that all mandatory procedures and the guidelines issued by NHRC had been scrupulously followed in the case. He added that the Chief Judicial Magistrate had already taken cognisance and issued directions, while a Special Investigation Team (SIT) had also been constituted to probe the incident.
The bench had earlier in the day taken suo motu cognisance of the incident. The court noted that the material placed before it suggested that the deceased youth was about 19 years old and had no prior criminal record.
Issuing notice, the bench made it clear that the state’s stand would be taken into account in the matter before proceeding further. “We will give you time to respond. You have to satisfy us. We will take further course of action only after response from you,” the bench told the DGP.
Expressing concern over similarities in recent encounter incidents reported from the state, the court observed that such developments were raising questions about adherence to the “rule of law”, particularly in a case where the deceased had no criminal antecedents.
“You may catch them, but you cannot take the law totally into your hands. They have to be dealt with in accordance with law,” the bench remarked.
Earlier, Bedi informed the court that media reports suggested several encounters that took place in the recent past and appeared to follow a similar pattern.
The court was also informed that 500 additional patrolling vehicles had been introduced to reinforce field policing and that more personnel were being deployed for patrol duties. In addition, about one acre of land in Mohali had been earmarked for setting up a facility aimed at strengthening the emergency response system.

**Source: https://www.thehindu.com/news/national/maharashtra/nhrc-issues-notice-to-maharashtra-government-over-death-of-18-workers-at-explosives-unit/article70707737.ece**

NHRC issues notice to Maharashtra Government over death of 18 workers at explosives unit

Published - March 05, 2026 07:29 pm IST - NEW DELHI
The Hindu Bureau

The National Human Rights Commission (NHRC) sought an explanation from the Maharashtra government on Thursday (March 5, 2026), regarding the deaths of at least 18 workers in a blast at an explosives manufacturing unit at Raulgaon, in Katol taluka of Nagpur.

According to reports, the blast occurred in the factory's packing section on March 1, leaving 24 additional workers seriously injured. Initial investigations indicate that the incident may involve violations of the Explosives Act and the Factories Act. Authorities have reportedly registered a case of culpable homicide against the factory's management.

Taking note of the seriousness of the incident and its possible human rights implications, the NHRC has issued notices to the State's Chief Secretary and the Director General of Police asking them to submit a detailed report within two weeks.

The report is expected to provide updates on the medical condition of the injured workers, progress in the investigation, and the status of compensation for the injured as well as for the families of those who lost their lives.

**Source: https://medicaldialogues.in/amp/news/health/doctors/aiims-bhopal-doctor-suicide-case-nhrc-seeks-report-over-harassment-allegations-165885**

AIIMS Bhopal Doctor Suicide Case: NHRC seeks report over harassment allegations

Written By : Annapurna
Published On 2026-03-05 11:45 GMT | Update On 2026-03-05 11:46 GMT

Bhopal: In a tragic incident, a female Assistant Professor at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhopal, has allegedly died by suicide following repeated harassment within her department, prompting the intervention of the National Human Rights Commission (NHRC).

The commission has directed the authorities to conduct an inquiry into the allegations and submit relevant documents, including copies of the FIR, the post-mortem report and other records related to the case within 15 days.

The matter came to light after NHRC member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint regarding the alleged harassment and subsequent death. In a post on X, he stated that a female Assistant Professor at the institute allegedly died by suicide after facing repeated harassment and humiliation from a senior official in her department. According to him, the doctor had filed three separate complaints against the Head of Department, accusing him of harassment. However, instead of initiating strict action, the hospital management allegedly attempted to suppress the issue.

Priyank Kanoongo further stated that according to the complaint, the Assistant Professor, distressed and frustrated over the circumstances, consumed a sedative drug in an attempt to render herself unconscious. She later died.

Describing the episode as “extremely tragic,” Kanoongo said the suicide of a promising young doctor has deeply saddened everyone. He informed that the NHRC has issued notices to the Bhopal Police, the management of AIIMS Bhopal, and the Ministry of Health and Family Welfare, directing them to submit a detailed investigation report, ETV Bharat reported.

The Commission has stated that it will closely monitor the case and ensure strict action against those found guilty. It also emphasised the need for systemic reforms to prevent similar incidents in the future.

## Source: https://www.tribuneindia.com/news/aiimsbhopal/nhrc-notice-to-aiims-bhopal-health-ministry-over-suicide-of-assistant-professor

NHRC notice to AIIMS Bhopal, health ministry over suicide of assistant professor

The Commission has sought an action taken report from the authorities concerned within 15 days
Surya S Pillai
Tribune News Service
New Delhi, Updated At : 04:57 PM Mar 05, 2026 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has sent a letter to AIIMS Bhopal, Madhya Pradesh police, and the Union Ministry of Health over the suicide of an assistant professor at the medical institute following alleged harassment by her Head of Department (HOD).

The Commission has sought an action taken report from the authorities concerned within 15 days.

"We have received a complaint that anesthetist assistant professor Srishti died by suicide because of harassment by her HOD Dr Parvez. This incident is two months old, but the complainant said there was no proper action taken in the case. The victim had complained thrice against her HOD to the administration before taking the extreme step," NHRC member Priyank Kanoongo told the media.

The human rights body has asked the authorities to conduct an inquiry into the allegations and submit relevant documents, including copies of the FIR.

"The fact that there was no action taken even after complaints is worrying. Therefore, we have sent a notice asking for a detailed report regarding the case within 15 days to the secretary of Health Ministry of India, Bhopal Police and AIIMS administration. We have asked for FIR copy, post-mortem report and information about the institute's Internal Complaints resolution procedure, including the Prevention of Sexual Harassment (POSH) committee," Kanoongo said.

Media reports claimed that the victim faced severe mental harassment and a toxic work culture allegedly created by her Head of Department. She had further alleged that despite sending emails regarding her distress, the administration took no action.

In a post on X, the NHRC member wrote, "Our condolences are with the bereaved family. The suicide of a promising doctor is extremely sad. We will ensure that the guilty are punished and the system is improved."

It was also alleged that previous complaints by other women doctors were also suppressed. The complainant sought the intervention of the Commission and requested a high-level independent inquiry into the death.

The complaint further stated that the distressed doctor consumed a sedative drug in an attempt to render herself unconscious, but later died.

**ANI, Online News, 06/03/2026**

## Source: [https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-seeks-report-from-aiims-bhopal-police-over-assistant-professors-suicide-allegedly-linked-to-workplace-harassment20260305160811/?amp=1](https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-seeks-report-from-aiims-bhopal-police-over-assistant-professors-suicide-allegedly-linked-to-workplace-harassment20260305160811/?amp=1)

NHRC seeks report from AIIMS Bhopal, Police over assistant professor's suicide allegedly linked to workplace harassment

ANI | Updated: Mar 05, 2026 16:08 IST

Bhopal (Madhya Pradesh) [India], March 5 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint alleging that a female assistant professor at AIIMS Bhopal died by suicide following alleged harassment by her Head of Department (HOD) and sought an action taken report from the authorities concerned within 15 days.

The Bench of the Commission, presided over by member Priyank Kanoongo, directed that notices be issued to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, the Director of AIIMS Bhopal and the Commissioner of Police, Bhopal.

The Commission has asked the authorities to conduct an inquiry into the allegations and submit relevant documents, including copies of the FIR, the post-mortem report and other records related to the case within 15 days.

Meanwhile, speaking to ANI, NHRC member Priyank Kanoongo says, "We have received a complaint that a female anaesthetist assistant professor committed suicide because of her HOD's harassment. This incident is two months old, but the complainant said that there was no proper action taken in the case. The victim had complained three times against her HOD to the administration before her death. There are allegations that no action was taken on those complaints, resulting in her taking the serious step of committing suicide."

"The fact that there was no action taken even after complaints is quite worrying. Therefore, we have sent a notice asking for a detailed report regarding the case within 15 days to the secretary of Health Ministry of India, Bhopal Police and AIIMS administration. We have asked for FIR copy, post-mortem report and information about the institute's Internal Complaints resolution procedure, including the Prevention of Sexual Harassment (POSH) committee," Kanoongo said.

According to the copy of the notice issued on March 2, the complainant alleged that the Assistant Professor at AIIMS Bhopal died on January 5, 2026 due to severe mental harassment and a toxic work culture allegedly created by her Head of Department. The complainant further alleged that despite sending emails regarding her distress, the administration took no action.

Additionally, it was also alleged that no FIR was registered and previous complaints by other female doctors were suppressed. The complainant sought the intervention of the Commission and requested a high-level independent inquiry into the death.

The commission observed that the allegations made in the complaint, prima facie, appear to be violations of the human rights of the victim and issued the notice to the authorities concerned, seeking a detailed action-taken report within 15 days. (ANI)

**News Arena India, Online News, 06/03/2026**

## Source: [https://newsarenaindia.com/nation/nhrc-orders-report-on-harassment-suicide-of-aiims-bhopal-doctor/71391](https://newsarenaindia.com/nation/nhrc-orders-report-on-harassment-suicide-of-aiims-bhopal-doctor/71391)

NHRC seeks report on harassment, suicide of AIIMS Bhopal doctor

According to Kanoongo, the assistant professor had earlier submitted three separate complaints against the Head of Department, accusing him of harassment. However, the complaint alleges that instead of taking strict action, the hospital administration attempted to suppress the issue.

News Arena Network - New Delhi - UPDATED: March 5, 2026, 04:57 PM - 2 min read

NHRC seeks report on alleged harassment-linked suicide of an assistant professor at AIIMS Bhopal, issuing notices to police, hospital authorities and Health Ministry.

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a serious complaint regarding the alleged harassment and subsequent suicide of a female assistant professor at the All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhopal.

NHRC member Priyank Kanoongo said on Thursday that the commission had received a complaint alleging that the young doctor died by suicide after facing repeated harassment and humiliation from a senior official in her department.

According to Kanoongo, the assistant professor had earlier submitted three separate complaints against the Head of Department, accusing him of harassment. However, the complaint alleges that instead of taking strict action, the hospital administration attempted to suppress the issue.

The complaint further stated that the distressed doctor consumed a sedative drug in an attempt to render herself unconscious, but later died.

In a post on the social media platform X, Kanoongo described the incident as 'extremely tragic', noting that the death of a promising young doctor has deeply saddened many.

The NHRC has issued notices to the Bhopal Police, the management of AIIMS Bhopal, and the Ministry of Health and Family Welfare, directing them to submit a detailed investigation report on the matter.

The commission stated that it will closely monitor the case and ensure strict action against those found responsible. It also emphasised the need for institutional reforms to prevent similar incidents in the future.

## Source: [https://www.etvbharat.com/en/state/doctor-ends-life-at-aiims-bhopal-over-alleged-workplace-harassment-says-nhrc-member-enn26030500961](https://www.etvbharat.com/en/state/doctor-ends-life-at-aiims-bhopal-over-alleged-workplace-harassment-says-nhrc-member-enn26030500961)

Doctor Ends Life At AIIMS Bhopal Over Alleged Workplace Harassment, Says NHRC Member

A female assistant professor allegedly died by suicide after repeated harassment complaints. NHRC has sought investigation reports from the Bhopal Police and AIIMS management.

By ETV Bharat English Team

Published : March 5, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read

Bhopal: National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo has taken cognisance of a serious complaint regarding an alleged case of harassment and suicide at All India Institute of Medical Sciences, Bhopal.

In a post on X on Thursday, Kanoongo said that a complaint was received about a female Assistant Professor at the institute who allegedly died by suicide after facing repeated harassment and humiliation from a senior official in her department.

The woman had filed three separate complaints against the Head of Department, accusing him of harassment, Kanoongo. However, instead of taking strict action, the hospital management allegedly attempted to suppress the matter, he said.

The complaint, according to him, further stated that the assistant professor, distressed and frustrated over the situation, consumed a sedative drug in an attempt to render herself unconscious. She later died.

Kanoongo, interestingly, had changed the names of the victim and the alleged accused HOD in the post, but had shared an AI-generated image showing a man wearing a white lab coat and a cap (usually worn by Muslims), scolding a crying young female doctor, who is shown wearing a tilak.

Calling the matter "extremely tragic," Kanoongo said the suicide of a promising young doctor has deeply saddened everyone. He added that the NHRC has issued notices to the Bhopal Police, the management of AIIMS Bhopal, and the Ministry of Health and Family Welfare. They have been directed to submit a detailed investigation report.

The commission has assured that it will closely monitor the case and ensure strict action against those found guilty. It also stressed the need for system reforms to prevent such incidents in the future.

## Source: [https://newsable.asianetnews.com/india/aiims-bhopal-profs-suicide-nhrc-seeks-report-on-harassment-claims-articleshow-ysdncp9](https://newsable.asianetnews.com/india/aiims-bhopal-profs-suicide-nhrc-seeks-report-on-harassment-claims-articleshow-ysdncp9)

AIIMS Bhopal prof's suicide: NHRC seeks report on harassment claims

3 Min read
Author : Asianet News Central | ANI
Published : Mar 05 2026, 04:30 PM IST

The NHRC has sought an action-taken report within 15 days over the alleged suicide of a female assistant professor at AIIMS Bhopal. The complaint alleges she was harassed by her HOD and previous complaints were ignored by the administration.

NHRC Seeks Action Taken Report

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint alleging that a female assistant professor at AIIMS Bhopal died by suicide following alleged harassment by her Head of Department (HOD) and sought an action taken report from the authorities concerned within 15 days. The Bench of the Commission, presided over by member Priyank Kanoongo, directed that notices be issued to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, the Director of AIIMS Bhopal and the Commissioner of Police, Bhopal. The Commission has asked the authorities to conduct an inquiry into the allegations and submit relevant documents, including copies of the FIR, the post-mortem report and other records related to the case within 15 days.

Details of the Complaint

Meanwhile, speaking to ANI, NHRC member Priyank Kanoongo says, "We have received a complaint that a female anaesthetist assistant professor committed suicide because of her HOD's harassment. This incident is two months old, but the complainant said that there was no proper action taken in the case. The victim had complained three times against her HOD to the administration before her death. There are allegations that no action was taken on those complaints, resulting in her taking the serious step of committing suicide."

"The fact that there was no action taken even after complaints is quite worrying. Therefore, we have sent a notice asking for a detailed report regarding the case within 15 days to the secretary of Health Ministry of India, Bhopal Police and AIIMS administration. We have asked for FIR copy, post-mortem report and information about the institute's Internal Complaints resolution procedure, including the Prevention of Sexual Harassment (POSH) committee," Kanoongo said.

Allegations in Official Notice

According to the copy of the notice issued on March 2, the complainant alleged that the Assistant Professor at AIIMS Bhopal died on January 5, 2026 due to severe mental harassment and a toxic work culture allegedly created by her Head of Department. The complainant further alleged that despite sending emails regarding her distress, the administration took no action. Additionally, it was also alleged that no FIR was registered and previous complaints by other female doctors were suppressed. The complainant sought the intervention of the Commission and requested a high-level independent inquiry into the death.

The commission observed that the allegations made in the complaint, prima facie, appear to be violations of the human rights of the victim and issued the notice to the authorities concerned, seeking a detailed action-taken report within 15 days.

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianet Newsable English staff and is published from a

syndicated feed.)

Indian News Queensland, Online News, 06/03/2026

**Source: https://indianews.com.au/nhrc-seeks-report-on-alleged-harassment-linked-death-of-aiims-bhopal-assistant-professor/**

NHRC seeks report on alleged harassment-linked death of AIIMS Bhopal assistant professor

BY India News Newsdesk
March 5, 2026

New Delhi, March 5 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Union Health Ministry, the Director of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Bhopal, and the Commissioner of Police, Bhopal, over allegations that an assistant professor at the institute died due to severe mental harassment and a toxic work environment.

A Bench presided by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the doctor died on January 5, following prolonged mental harassment allegedly caused by the "toxic" work culture in the Trauma and Emergency Medicine department at AIIMS Bhopal.

According to the complaint, the victim had sent three emails expressing distress before her death, but the institute administration allegedly failed to take action.

It was further alleged that institutional negligence occurred as no FIR was registered, and previous complaints by other female doctors were suppressed.

The complainant sought the NHRC's intervention and requested a high-level independent inquiry into the circumstances surrounding the death, along with accountability of those responsible and registration of an FIR in the matter.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex human rights body issued the notice under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

It has directed the Secretary, Union Ministry of Health and Family Welfare, to inquire into the allegations.

The NHRC has also asked the Bhopal Police Commissioner and the Director of AIIMS Bhopal to conduct an inquiry and furnish copies of the FIR, post-mortem report, and other relevant documents in the case.

Further, the authorities have been directed to provide details of the institute's POSH (Prevention of Sexual Harassment) Committee, including the criteria for selection of its members, statements of committee members, and details of its activities in the past year.

They have also been asked to submit copies of complaints received in the last three years, including those filed by the victim, along with the action taken reports and statements of former employees or doctors mentioned in the complaint.

The NHRC has sought an Action Taken Report (ATR) from the concerned authorities within 15 days for its perusal.

–IANS

pds/dpb

**Source: [https://jharkhandstatenews.com/article/top-stories/11022/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-over-the-botched-cataract-surgery-of-9-patients](https://jharkhandstatenews.com/article/top-stories/11022/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-over-the-botched-cataract-surgery-of-9-patients)**

NHRC takes suo motu cognisance over the botched cataract surgery of 9 patients

Administrator
05 March 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that after botched cataract surgery at a private hospital in Gorakhpur district of Uttar Pradesh, the infected eye of at least nine patients had to be removed and nine others lost vision in one eye. Reportedly, the surgeries were conducted on 30 patients during an Eye Camp on 1st February 2026 at the private hospital.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights of the victims. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Senior Superintendent of Police, Gorakhpur, Uttar Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 20th February 2026, the patients started complaining of severe pain and discharge from the operated eye within 24 hours of the surgeries. A total 18 patients developed infections after which they were referred to Delhi, Lucknow and Varanasi for medical treatment as their condition worsened.

Medical Dialogues, Online News, 06/03/2026

**Source: https://medicaldialogues.in/amp/news/health/hospital-diagnostics/nhrc-issues-notices-over-botched-cataract-surgeries-at-gorakhpur-hospital-165848**

NHRC issues notices over botched cataract surgeries at Gorakhpur Hospital

Written By : Kajal Rajput

Published On 2026-03-05 06:56 GMT | Update On 2026-03-05 06:56 GMT

Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Uttar Pradesh Chief Secretary and the Senior Superintendent of Police, Gorakhpur, in connection with a botched cataract surgery at a private hospital, which resulted in at least nine patients losing an eye and nine others losing vision in one eye.

Reportedly, the surgeries were conducted on 30 patients during an Eye Camp on 1st February 2026 at the private hospital.

Medical Dialogues had earlier reported that in a shocking incident, nine patients lost vision in one eye, and another nine patients had to get an eye removed after developing infections following cataract surgeries at a private hospital in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The incident prompted authorities to seal the facility and order an inquiry.

The incident took place at New Rajesh Hitech Hospital on February 1, during an eye camp where 30 patients underwent cataract surgeries. They said that within 24 hours of the surgeries, several patients began complaining of severe pain and discharge from the operated eye.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights of the victims. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Senior Superintendent of Police, Gorakhpur, Uttar Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks, the PIB stated.

According to the media report, carried on 20th February 2026, the patients started complaining of severe pain and discharge from the operated eye within 24 hours of the surgeries. A total 18 patients developed infections after which they were referred to Delhi, Lucknow and Varanasi for medical treatment as their condition worsened.

Panchjanya, Online News, 06/03/2026

## Source: [https://panchjanya.com/2026/03/05/460802/bharat/madhya-pradesh/bhopal-aiims-dr-rashmi-verma-suicide-nhrc-notice-hod-harassment/](https://panchjanya.com/2026/03/05/460802/bharat/madhya-pradesh/bhopal-aiims-dr-rashmi-verma-suicide-nhrc-notice-hod-harassment/)

भोपाल AIIMS डॉक्टर सुसाइड केस: NHRC ने लिया संज्ञान, HOD परवेज पर प्रताड़ना मामले में रिपोर्ट मांगी

कुलदीप सिंह 5 मार्च 2026
भोपाल के AIIMS में एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत का मामला काफी चर्चा में है। ये घटना दिसंबर 2025 में हुई, जब डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की हाई डोज खुद को ही इंजेक्ट कर ली और करीब 25 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद जनवरी में उनकी मौत हो गई। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और मामले से संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मांगी है।
क्या है पूरा मामला
मामला कुछ यूं है कि 38 वर्षीय डॉक्टर सृष्टि वर्मा (नाम बदला हुआ) भोपाल के AIIMS स्थित इमरजेंसी एंड ट्रॉमा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। बताया जाता है कि 11 या 12 दिसंबर 2025 को उन्हें उनके हॉस्टल रूम में बेहोश हालत में पाया गया। उन्होंने खुद पर बेहोश करने वाली दवा (एनेस्थीसिया ड्रग) का ओवरडोज लिया था। उन्हें तुरंत AIIMS में भर्ती किया गया, लेकिन हालत गंभीर रहने के कारण वे 24-25 दिन वेंटिलेटर पर रहीं और आखिरकार मौत हो गई। सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था, लेकिन परिवार और सहकर्मियों ने कार्यस्थल पर दबाव की बात कही।
HOD परवेज करता था प्रताड़ित
मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि विभागाध्यक्ष (HOD) डॉ. परवेज (या कुछ रिपोर्ट्स में डॉ. मोहम्मद युनुस) की ओर से मानसिक प्रताड़ना, सार्वजनिक अपमान और काम में बाधाएं डाली जा रही थीं। डॉ. वर्मा ने तीन बार आंतरिक शिकायत की थी, POSH कमेटी में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता के पति ने आरोप लगाया कि अस्पताल की कार्य संस्कृति पूरी तरह गंदगी से भरी थी। उससे उनकी पत्नी अकेली नहीं, कई लोग इससे प्रभावित थे। सहकर्मी उन्हें मेधावी और समर्पित बताते हैं।
NHRC ने लिया एक्शन
NHRC ने मामला संज्ञान में लिया और आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, AIIMS भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस कमिश्नर से 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में पोस्टमॉर्टम, POSH कमेटी की कार्यवाही, FIR की कॉपी और जांच शामिल होनी चाहिए। NHRC ने आत्महत्या उकसाने और मानसिक प्रताड़ना वाली धाराओं पर फोकस करने को कहा है।
भोपाल के AIIMS में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि द्वारा HOD डॉक्टर परवेज़ की प्रताड़ना और हुमिलियेशन से तंग आ कर स्वयं बेहोश करने वाली दवाई के ओवरडोज से आत्महत्या करने वाली घटना की शिकायत प्राप्त हुई है कि महिला द्वारा तीन बार प्रताड़ना देने वाले डॉक्टर परवेज़ के विरुद्ध शिकायत…
pic.twitterr.com/f2iojSXVlb
— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) March 5, 2026
AIIMS पर गंभीर आरोप
पुलिस से जांच की प्रगति और धाराओं के तहत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। AIIMS मैनेजमेंट पर आरोप है कि शिकायतों को दबाने की कोशिश की गई, POSH कमेटी ने ठीक से काम नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स में HOD को हटाए जाने की बात भी आई है। संस्थान ने हाई-लेवल कमेटी बनाई है, लेकिन रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई।

**Source: [https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/punjab-haryana-hc-suo-motu-notice-gurdaspur-encounter-dgp-10565632/](https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/punjab-haryana-hc-suo-motu-notice-gurdaspur-encounter-dgp-10565632/)**

‘Can’t close our eyes to what is happening’: HC issues notice to Punjab Police over Ranjit Singh encounter, seeks affidavit

DGP Gaurav Yadav appears before the Punjab and Haryana High Court via video link, assuring the bench that procedures and NHRC guidelines were followed.
Written by: Manraj Grewal Sharma
5 min read Chandigarh Updated: Mar 5, 2026 05:49 PM IST
The Punjab and Haryana High Court on Thursday issued a notice to the Punjab Police in connection with the alleged encounter killing of Ranjit Singh and directed the director general of police (DGP) to file an affidavit explaining the circumstances of the incident. DGP Gaurav Yadav appeared before the bench through video conference and responded to the court’s queries during the hearing.
The bench, headed by Justice Anupinder Singh Grewal and also comprising Justice Deepak Manchanda, said it could not “close its eyes” to the concerns being raised about recent encounters in the state and sought a detailed response from the police.
The court observed that the material placed before it suggested the deceased youth was around 19 years old and had no criminal antecedents. “You have to satisfy us,” the bench told the police, adding that the court would examine the response before deciding the next course of action, including whether the matter should be handed over to an independent agency.
“We cannot close our eyes to what is happening,” Justice Grewal observed during the hearing, while emphasising that suspects must be dealt with strictly in accordance with the law.
Ranjit Singh was one of the three youths named by police in the sensational February 22 double murder of Assistant Sub-Inspector Gurnam Singh and Home Guard jawan Ashok Kumar at a joint checkpost in Adhian village, barely 2 km from the Pakistan border. Investigators had described the attack as an ISI-orchestrated strike aimed at spreading terror, with the trio allegedly paid around Rs 20,000 to carry it out. While Dilawar Singh was arrested immediately and Inderjit Singh was picked up later from Amritsar, Ranjit was declared killed in an “encounter” three days after the police officials’ killings.
Appearing through video link, the DGP submitted that mandatory procedures were being meticulously followed in all such cases. He told the court that the directions issued by the Supreme Court in the PUCL versus State of Maharashtra (2014) judgment, along with the National Human Rights Commission guidelines on encounter deaths, were being scrupulously adhered to.
He also said that wherever required, magisterial inquiries were being initiated and informed the bench that in the present case, the chief judicial magistrate concerned had already taken cognisance and passed certain orders. A special investigation team had also been set up to probe the alleged encounter, he informed.
The bench, however, pointed to similarities between the present case and other recent incidents in which accused persons were allegedly taken for recovery of weapons, attempted to escape, and were subsequently shot in police firing.
Amicus curiae Tanu Bedi referred to another such incident in Mohali, where the narrative in the First Information Report (FIR) appeared similar. She also brought to the court’s notice a recent report in The Indian Express highlighting multiple police encounters in Punjab over the past three months.
The court said the similarities in these cases raised questions about the broader issue of adherence to the rule of law. “You may catch them, but you cannot take the law totally into your hands. They have to be dealt with in

accordance with law," the bench observed.
The judges also noted that in such situations, eliminating suspects could hinder efforts to identify those behind larger criminal conspiracies. "You need to find out the real conspirators and the people behind the scene," the court said.

What the police told the court

During the hearing, senior counsel Puneet Bali, appearing in the matter, along with the DGP, also informed the bench about steps being taken by the state to strengthen policing and accountability. They told the court that a new transfer policy for the police force had been prepared and was expected to be notified by the state government shortly.

The DGP further submitted that the state was in the process of strengthening ground-level policing and said additional personnel would soon be deployed for patrolling duties. He also informed the court that about one acre of land in Mohali had been earmarked for the establishment of a new police facility as part of the effort to improve policing infrastructure.

The bench clarified that it was not making any final observations at this stage and that the police would be given an opportunity to place their stand on record.

"We will give you about a week to ten days to file your reply. After that, we will consider the next course of action," the court said, adding that it would examine whether further steps such as the constitution of a special investigation team or a probe by an independent agency were required.

## Source: [https://www.freepressjournal.in/mumbai/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-nagpur-explosives-factory-blast-that-killed-18-workers-injured-24](https://www.freepressjournal.in/mumbai/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-nagpur-explosives-factory-blast-that-killed-18-workers-injured-24)

NHRC Takes Suo Motu Cognizance Of Nagpur Explosives Factory Blast That Killed 18 Workers, Injured 24

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of a media report on an explosion at an explosives manufacturing unit in Nagpur’s Katol taluka on March 1 that killed 18 workers and injured 24 others. NHRC has issued notices to Maharashtra’s Chief Secretary and DGP seeking a detailed report within two weeks.
FPJ News Service Updated: Thursday, March 05, 2026, 08:38 PM IST
The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that at least 18 workers died and 24 others were injured after an explosion at an explosives manufacturing unit at Raulgaon in Katol taluka area of Nagpur, Maharashtra. Reportedly, the incident happened in the packing section of the factory at around 7:00 am on 1st March 2026. Several victims have suffered severe burn injuries ranging from 30 to 80 per cent apart from serious trauma.
The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of human rights violations of the victims. Therefore, it has issued notices to the Maharashtra Chief Secretary and the Director General of Police, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of health of the injured persons and investigation as well as disbursement of compensation to the injured and to the next of kin of the deceased.
According to the media report, carried on 2nd March 2026, preliminary findings have suggested possible violations of Explosives and the Factories Acts' provisions. Reportedly, a case of culpable homicide has been registered against the factory management.
FPJ Shorts

## Source: https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-takes-suo-motu-notice-after-two-indore-sanitation-workers-die-inside-toxic-sewer-chamber

NHRC Takes Suo Motu Notice After Two Indore Sanitation Workers Die Inside Toxic Sewer Chamber

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of reports that two sanitation workers of the Indore Municipal Corporation died inside a sewer chamber on March 2. The Commission has issued notices to civic authorities and the police commissioner seeking a detailed report within two weeks, including investigation status and compensation for the victims' families.

FPJ News Service Updated: Thursday, March 05, 2026, 08:56 PM IST

NHRC Takes Suo Motu Notice After Two Indore Sanitation Workers Die Inside Toxic Sewer Chamber

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that on 2nd March 2026, two sanitation workers died in a sewer chamber in Indore, Madhya Pradesh. They were workers of the Indore Municipal Corporation.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victims. Therefore, it has issued notices to the Indore Municipal Corporation and Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of the investigation as well as compensation, if any, paid to the NoK of the victims.

According to the media report, carried on 3rd March 2026, the victims entered into the sewer chamber to retrieve a portion of a suction tanker pipe that had fallen into it during de-watering process when they fell down unconscious due to toxic gases. They were pulled out and taken to a hospital, where they were declared dead.

## Source: https://www.freepressjournal.in/mumbai/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-after-oleum-gas-leak-forces-evacuation-of-2600-people-in-palghar

NHRC Takes Suo Motu Cognizance After Oleum Gas Leak Forces Evacuation Of 2,600 People In Palghar

The National Human Rights Commission of India took suo motu cognisance of reports that over 2,600 people, including 1,600 students, were evacuated after a major oleum gas leak at a chemical unit in Boisar MIDC. The panel asked Maharashtra's Chief Secretary for a detailed report within two weeks. Three people reportedly suffered minor eye irritation.

FPJ News Service Updated: Thursday, March 05, 2026, 09:02 PM IST

The leakage of oleum gas from a chemical company in Palghar, an urban-rural-tribal settlement about 100 kilometres from Mumbai, on Monday was shocking but provided a window to several aspects of handling such disasters. | ANI

Mumbai: The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that over 2,600 people, including 1,600 students, were evacuated due to a massive leak of hazardous oleum gas (fuming sulfuric acid) at a chemical unit in Palghar district of Maharashtra on 2nd March 2026. Reportedly, the incident took place at Boisar MIDC area and the gas was spread within a radius of approximately five kilometres.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights. Therefore, it has issued a notice to the state Chief Secretary, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 3rd March 2026, three persons complained of minor eye irritation due to the effect of the gas. Reportedly, the exact cause of the leakage is yet to be determined.

**Amar Ujala, Online News, 06/03/2026**

## Source: [https://www.amarujala.com/gorakhpur/nhrc-admits-serious-human-rights-violation-issues-notice-to-dm-and-ssp-seeks-report-within-two-weeks-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-1247963-2026-03-06](https://www.amarujala.com/gorakhpur/nhrc-admits-serious-human-rights-violation-issues-notice-to-dm-and-ssp-seeks-report-within-two-weeks-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-1247963-2026-03-06)

Gorakhpur News: बालक की मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग...अब भी कई जगहों पर नाले खुले

गोरखपुर ब्यूरो | Updated Fri, 06 Mar 2026 02:45 AM IST

गोरखपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के मुड़िला उर्फ मुंडेरा निवासी श्याम सुंदर चौरसिया के बेटे कन्हैया (12) की खुले निर्माणाधीन नाले में गिरकर हुई मौत के मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, घटना के बाद कमिश्नर के निर्देश पर शहर के खुले नालों को ढंकने का काम शुरू किया गया, लेकिन अभी कई जगहों पर नाला खुले ही हैं और खतरा बना हुआ है।

18 फरवरी 2026 को वार्ड नंबर 5, मानबेला, राप्तीनगर विस्तार कॉलोनी से कन्हैया चौरसिया घर लौट रहा था। रास्ते में निर्माणाधीन नाले में साइकिल सहित गिर गया। घटना के दौरान नाले में रखी अतिरिक्त लोहे की सरिया हटाई नहीं गई थीं और ढक्कन भी नहीं लगाया गया था। सरिया उसके शरीर में घुस गई, जिससे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत परिवार को सूचना दी और कन्हैया को बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में परिवार ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना का संज्ञान लेते हुए डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉ. कौस्तुभ को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दो हफ्ते के अंदर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें बालक के परिवार को दिए गए मुआवजे की स्थिति और ठेकेदार की जिम्मेदारी के बारे में जानकारी शामिल है। आयोग ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट में बताए गए तथ्य सही हैं, तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। मामले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ निर्माण कार्य में जिम्मेदार ठेकेदार की लापरवाही की भी पड़ताल की जाए। बालक की मौत ने न सिर्फ परिवार को दुखी किया है बल्कि इलाके में सुरक्षा और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। एनएचआरसी की नोटिस के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मामले की पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं।

पिता ने वेलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट की थी साइकिल

श्याम सुंदर चौरसिया के तीन बेटों में कन्हैया सबसे बड़ा था। उसके अलावा छह साल का शिवा और आठ साल का किशन है। श्याम सुंदर सब्जी बेचते हैं। उनकी पत्नी साधना गृहिणी हैं। कन्हैया को साइकिल चलाने का बहुत शौक था। 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के दिन 2600 रुपये की एक साइकिल खरीदकर कन्हैया को गिफ्ट किया था। चार दिन बाद ही यह घटना हो गई।

3.50 लाख मिला था कैश, मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का आश्वासन

बालक की मौत के बाद देर रात गुलरिहा पार्षद प्रतिनिधि यूसुफ आजाद के साथ मृतक के पिता श्याम सुंदर चौरसिया, चाचा व गांव से दो अन्य लोग जीडीए ऑफिस पहुंचे थे। वहां जीडीए सचिव से मुलाकात की। जीडीए सचिव और एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने मुआवजे के तौर पर 3.50 लाख रुपये नकद दिया। इसके साथ ही अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद दिलवाने का आश्वासन दिया है। उधर, घटना के बाद देर शाम जीडीए की टीम घटना स्थल पहुंची थी और नाले को ढक दिया गया था।

कहीं नाले पर डाले स्लैब और चलाई दीवार तो कहीं वैसे ही छोड़ दिया

गोरखपुर। शहर में नालों पर स्लैब लगाने का काम जिम्मेदारों ने अधूरा ही छोड़ दिया। इससे राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि, कई स्थानों पर स्लैब डाले गए हैं और नालों के किनारे दीवार भी चलाई गई है।

पार्क रोड पर एक निजी मॉल के सामने कार्मल रोड के किनारे नाला अभी खुला है, स्लैब नहीं डाला गया है। इसी तरह फिराक चौराहा से बेतियाहाता की ओर जाने वाले मार्ग पर बायीं तरफ भी नाला खुला पड़ा है। राहगीर सुनील जायसवाल ने बताया कि अगर संभलकर नहीं चले तो नाले में गिर सकते हैं।

काली मंदिर से आगे दाउदपुर रोड पर नाले की पुलिया की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। यहां के निवासी रतन श्रीवास्तव का कहना है कि इस रोड पर लोगों की आवाजाही ज्यादा है, रात में कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं, मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने भी दो स्थानों पर नालों पर स्लैब नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा मानबेला में पत्रकारपुरम कॉलोनी के पीछे सड़क के दोनों तरफ नाले खुले हैं। इसके आगे जाने पर भी

एक नाले पर जगह-जगह स्लैब नहीं हैं।

इस संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि नगर निगम की ओर से लगभग सभी नाले ढंक दिए गए हैं। कुछ जगहों पर दीवार बनाई जा रही है।

**Source: [https://www.swadeshnews.in/pradesh/nhrc-notice-aiims-bhopal-assistant-professor-suicide-case/147256](https://www.swadeshnews.in/pradesh/nhrc-notice-aiims-bhopal-assistant-professor-suicide-case/147256)**

AIIMS भोपाल सुसाइड केस: NHRC ने लिया संज्ञान, HOD पर प्रताड़ना के आरोप; 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

AIIMS भोपाल में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की आत्महत्या मामले में NHRC ने संज्ञान लिया। प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय, AIIMS निदेशक और भोपाल पुलिस को नोटिस भेजकर 15 दिन में

By: स्वदेश डेस्क

March 05 2026 12:23:33 PM

भोपाल। भोपाल के AIIMS Bhopal में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की आत्महत्या के मामले में National Human Rights Commission (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संस्थान में काम कर रहीं महिला डॉक्टर लगातार मानसिक प्रताड़ना और खराब कार्य वातावरण से परेशान थीं। इसी वजह से उन्होंने 5 जनवरी 2026 को आत्महत्या कर ली। मामले को गंभीर मानते हुए आयोग ने अब विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

आयोग की पीठ ने भेजा नोटिस

NHRC की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य Priyank Kanoongo कर रहे हैं, ने इस मामले में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) आयोग को भेजी जाए। आयोग ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

HOD पर प्रताड़ना के आरोप

शिकायत में कहा गया है कि महिला डॉक्टर को उनके विभाग के प्रमुख द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप यह भी है कि उन्होंने अपनी परेशानी को लेकर संस्थान प्रशासन को कई बार ईमेल भेजे थे। लेकिन शिकायत के मुताबिक, इन ईमेल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप यह भी लगाया गया है कि संस्थान में पहले भी महिला डॉक्टरों की शिकायतों को दबाया गया।

15 दिन में देनी होगी पूरी रिपोर्ट

NHRC ने इस मामले में सभी संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने खास तौर पर निम्न दस्तावेज मांगे हैं:

दर्ज की गई FIR की कॉपी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट

संस्थान की POSH कमेटी का पूरा विवरण

कमेटी के सदस्यों की जानकारी और कार्यप्रणाली

पिछले तीन वर्षों में आई शिकायतों का रिकॉर्ड

इस मामले में उठाए गए प्रशासनिक कदम

आयोग ने कहा है कि सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी दिल्ली स्थित कार्यालय को भेजी जाएं।

## Source: https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-aiims-doctor-suicide-national-human-rights-commission-nhrc-issued-notice-director-sexual-harassment-case-8429857

एम्स भोपाल सुसाइड मामला, डॉक्टर की प्रताड़ना की 3 शिकायतों के बाद भी क्यों चुप रहा प्रशासन?, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल की सहायक प्राध्यापक डॉ. रश्मि वर्मा की आत्महत्या का संज्ञान लिया है। ...और पढ़ें

By Digital Desk Edited By: Himadri Singh Hada

Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 03:49:49 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 05:25:26 AM (IST)

HighLights

एम्स भोपाल में सुसाइड का मामला।

शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई।

प्रताड़ना से तंग आकर दी जान।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल की सहायक प्राध्यापक डॉ. रश्मि वर्मा की आत्महत्या का संज्ञान लिया है।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस आयुक्त को नोटिस भेज कर 15 दिनों में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

आयोग ने प्राधिकारियों से पाश (प्रीवेंशन आफ सेक्सुअल हरसमेंट) समिति की पूरी जानकारी, एफआइआर की कापी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी है।

तीन बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

कानूनगो ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा कि डॉ. रश्मि ने आत्महत्या से पहले विभाग के एचओडी डा. मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध तीन बार औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपों के अनुसार, डॉ. यूनुस द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित, पेशेवर कामकाज में बाधा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था।

डॉ. रश्मि ने संस्थान के शिकायत निवारण तंत्र से मदद मांगी थी, लेकिन आरोप है कि एम्स प्रबंधन ने आरोपित डा. यूनुस के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया।

प्रताड़ना से तंग आकर दी जान

अंततः प्रताड़ना से तंग आकर चिकित्सक ने बेहोशी की दवा का ओवरडोज लेकर अपनी जान दे दी। आयोग ने विशेष रूप से एम्स की आंतरिक शिकायत समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आयोग यह जानना चाहता है कि यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायतों पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

प्रशासन और पुलिस से मांगा जवाब

इसके अलावा भोपाल पुलिस से भी जवाब मांगा गया है कि डा. मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना की धाराओं के तहत अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। डा. रश्मि वर्मा ने 11 दिसंबर को एनस्थिसिया दवाओं की (अत्यधिक मात्रा लेकर आत्महत्या कर ली थी)।

ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की थी। उनको बचाने के लिए उनके साथी अगले 23 दिनों तक जंग लड़ते रहे। एम्स भोपाल में उत्पीड़न का यह पहला मामला नहीं है। करीब चार महीने पहले ट्रामा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डा. श्रुति दुबे ने भी एचओडी डॉ. मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ऐसा ही आरोप लगाया था।

## Source: https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-a-female-doctor-at-bhopal-aiims-committed-suicide-after-being-harassed-by-her-head-of-department-notices-issued-to-the-ministry-and-the-police-commissioner-8429850

भोपाल एम्स में महिला डॉक्टर ने एचओडी की प्रताड़ना से तंग आकर की आत्महत्या, मंत्रालय-पुलिस आयुक्त को नोटिस

आरोपों के अनुसार, यूनुस द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित, पेशेवर कामकाज में बाधित और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था।
By mukesh vishwakarma Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 12:12:23 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 12:19:15 AM (IST)
HighLights
मानवाधिकार आयोग ने भेजा है नोटिस।
15 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश।
एफआईआर की कॉपी की भी मांग की है।
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( एम्स) भोपाल की सहायक प्राध्यापक डॉ. रश्मि वर्मा की आत्महत्या का संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस आयुक्त को नोटिस भेज कर 15 दिनों में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
आयोग ने प्राधिकारियों से पाश (प्रीवेंशन आफ सेक्सुअल हरसमेंट) समिति की पूरी जानकारी, एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगा है।
आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि डॉ. रश्मि ने आत्महत्या से पहले विभाग के एचओडी डॉ. मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध तीन बार औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।
प्रियंक कानूनगो, सदस्य-पीठ अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पोस्ट। सौ सोशल मीडिया।
आरोपों के अनुसार, यूनुस द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित, पेशेवर कामकाज में बाधित और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था।
डॉ. रश्मि ने संस्थान के शिकायत निवारण तंत्र से मदद मांगी थी, लेकिन आरोप है कि एम्स प्रबंधन ने आरोपी डॉ. यूनुस के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया।
अंततः प्रताड़ना से तंग आकर चिकित्सक ने बेहोशी की दवा का ओवरडोज लेकर अपनी जान दे दी। आयोग ने विशेष रूप से एम्स की आंतरिक शिकायत समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
आयोग यह जानना चाहता है कि यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायतों पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
इसके अलावा भोपाल पुलिस से भी जवाब मांगा गया है कि डॉ. मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना की धाराओं के तहत अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। फिलहाल एम्स प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है।
इन पर टिका है सच
- डा. रश्मि की तीनों शिकायतों पर एम्स प्रशासन ने डा. यूनुस के विरुद्ध क्या कदम उठाए?
- पोश कमेटी की बैठकों का विवरण और दर्ज किए गए बयान।
- एफआइआर की प्रति और अब तक हुई विवेचना की स्थिति।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों और समय का सटीक विवरण।
23 दिनों तक मौत से चली जंग
एम्स में एमरजेंसी एंड ट्रामा विभाग की सहायक प्राध्यापक प्रो. रश्मि वर्मा ने 11 दिसंबर को एनस्थिसिया दवाओं की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की थी। उनको बचाने के लिए उनके साथी अगले 23 दिनों तक मौत से जंग लड़ते रहे, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका।
चार माह पहले भी सामने आई थी ऐसी शिकायत
एम्स भोपाल में उत्पीड़न का यह पहला मामला नहीं है। करीब 4 महीने पहले ट्रामा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डा. श्रुति दुबे ने भी एचओडी डा. मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ऐसा ही आरोप लगाया था। दुबे ने आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि यूनुस ने उन्हें अकेले कमरे में बैठाकर धमकाया, मानसिक प्रताड़ना दी और करियर बर्बाद करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया था कि मीटिंग में सबके सामने उनका अपमान किया गया, जिससे वे मानसिक रूप से टूट चुकी थीं और नौकरी छोड़ने पर विचार कर रही थीं।
महिला असिस्टेंट प्रोफेसर रश्मि ने एचओडी डा. मोहम्मद यूनुस की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी है। तीन बार शिकायत के बावजूद संस्थान का चुप रहना

अक्षम्य है। हमने 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रियंक कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।

Dainik Bhaskar, Online News, 06/03/2026

**Source: [https://www.bhaskar.com/local/mp/vidisha/news/pond-encroachment-case-filed-against-former-congress-president-dbp-137359914.html](https://www.bhaskar.com/local/mp/vidisha/news/pond-encroachment-case-filed-against-former-congress-president-dbp-137359914.html)**

तालाब पर कब्जा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर केस

विदिशा 3 घंटे पहले

विदिशा| सिरोंज के जवारी जलाशय पर केवट समाज के नौकापूजन और मछली पालन कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो गुरुवार को सिरोंज थाने पहुंच गए। कार्यक्रम के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक यादव का तालाब पर कब्जा है। वे खुद और उनके लोग गरीब मछुआरों को तालाब पर काम न करने के लिए धमका रहे हैं। कार्यक्रम के बाद प्रियंक मछुआरों के साथ सिरोंज थाने पहुंचे। मछुआरों को धमकाने वालों की शिकायत की। टीआई विमलेश राय ने बताया कि कपिल केवट की शिकायत पर ओम यादव, अशोक यादव, राजीव यादव समेत अन्य पर गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस टीम मछुआरा समाज के साथ डेम पर पहुंची। जाल निकलवाया।

Dainik Bhaskar, Online News, 06/03/2026

## Source: https://www.bhaskar.com/g/local/mp/bhopal/news/aiims-bhopal-doctor-suicide-nhrc-report-police-management-137355639.html

एम्स डॉक्टर सुसाइड केस में मानवाधिकार आयोग का स्वतः संज्ञान: प्रबंधन और पुलिस से 15 दिन में मांगी विस्तृत रिपोर्ट, आरोप- शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई

भोपाल 10 घंटे पहले

भोपाल एम्स में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की आत्महत्या का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है। पहले भी इस प्रकरण को लेकर संस्थान की कार्यसंस्कृति और शिकायत निवारण तंत्र पर सवाल उठे थे, लेकिन अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने औपचारिक संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य स्तर के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग के तत्कालीन HOD डॉ. मोहम्मद यूनुस द्वारा लगातार प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान से परेशान होकर चिकित्सक ने बेहोशी की दवाइयों का ओवरडोज लेकर जान दे दी।

आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः (स्वयं की पहल पर) संज्ञान लिया। आयोग की ओर से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट में संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति (POSH कमेटी) द्वारा की गई कार्यवाही का पूरा विवरण, दर्ज एफआईआर की प्रति और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शामिल की जाए।

ट्वीट से सामने आया मामला

इस प्रकरण को लेकर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर विस्तृत ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भोपाल के एम्स में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि (नाम परिवर्तित) ने HOD डॉ. परवेज (नाम परिवर्तित) की प्रताड़ना और अपमान से तंग आकर बेहोश करने वाली दवा के ओवरडोज से आत्महत्या कर ली।

ट्वीट में यह भी उल्लेख किया गया कि महिला चिकित्सक ने तीन बार प्रताड़ना की शिकायत की थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया। ऐसे में चिकित्सक ने आत्महत्या कर ली। कानूनगो ने इसे गंभीर शिकायत बताते हुए जांच के निर्देश दिए और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

आरोप- शिकायतों पर नहीं हुई कार्रवाई

शिकायत के अनुसार, विभागाध्यक्ष द्वारा कथित रूप से लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। सार्वजनिक रूप से अपमान, पेशेवर कामकाज में बाधाएं और अनुचित व्यवहार जैसे आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि डॉ. रश्मि ने संस्थान की आंतरिक शिकायत प्रणाली के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, आरोप है कि शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत उत्पीड़न का मामला नहीं बल्कि संस्थागत लापरवाही का भी उदाहरण होगा।

POSH कमेटी की भूमिका पर निगाह, आरोप होंगे तय

आयोग ने विशेष रूप से संस्थान की POSH (Prevention of Sexual Harassment) कमेटी की कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है। यह कमेटी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित शिकायतों की जांच के लिए गठित की जाती है। यदि शिकायत दर्ज होने के बावजूद उचित जांच या कार्रवाई नहीं हुई, तो यह नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। ऐसे में जिम्मेदारी केवल आरोपित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संस्थागत तंत्र भी जवाबदेह होगा।

पुलिस जांच भी घेरे में

भोपाल पुलिस से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यह देखा जाएगा कि आत्महत्या के लिए उकसाने, मानसिक प्रताड़ना या अन्य संबंधित धाराओं के तहत क्या कदम उठाए गए।

जांच का दायरा अब व्यापक हो चुका है। आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि कहीं प्रारंभिक स्तर पर मामले को हल्के में तो नहीं लिया गया।

15 दिन बाद सामने आएगी सच्चाई

अब सभी की नजरें आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं। 15 दिनों के भीतर आने वाली यह रिपोर्ट तय करेगी कि आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई किस दिशा में जाएगी।

आयोग की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार की ओर से भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की गई है। उनका कहना है कि यदि समय पर शिकायतों पर ध्यान दिया जाता, तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी।

पहले भी उठे थे सवाल

डॉ. रश्मि से जुड़े इस मामले को लेकर पूर्व में भी कार्यस्थल के वातावरण और शिकायत तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। सहयोगियों का कहना है

कि वह एक मेधावी और समर्पित चिकित्सक थीं। उनकी असामयिक मृत्यु ने न केवल परिवार बल्कि चिकित्सा समुदाय को भी झकझोर दिया है। कई चिकित्सकों ने अनौपचारिक बातचीत में स्वीकार किया कि मेडिकल संस्थानों में कार्यदबाव और प्रशासनिक तनाव एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है।

**Source: https://ndtv.in/madhya-pradesh-chhattisgarh/suicide-of-a-female-doctor-at-bhopal-aiims-fed-up-with-harassment-by-the-hod-has-gained-momentum-the-nhrc-has-also-directed-the-health-department-to-11170497**

भोपाल एम्स में HOD की प्रताड़ना से तंग महिला डॉक्टर की आत्महत्या ने पकड़ा तूल, NHRC ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा नोटिस

प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए बताया कि भोपाल के एम्स में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि की ओर से एचओडी डॉक्टर परवेज की प्रताड़ना और हुमिलिएशन से तंग आकर बेहोश करने वाली दवाई के ओवरडोज से आत्महत्या करने वाली घटना की शिकायत प्राप्त हुई है.

Reported by: आईएएनएस

Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद

Madhya Pradesh Chhattisgarh

मार्च 05, 2026 09:48 am IST

Published On मार्च 05, 2026 09:45 am IST

Last Updated Onमार्च 05, 2026 09:48 am ISTमध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एम्स में एक महिला डॉक्टर के आत्महत्या करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है. एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यह जानकारी दी.

प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए बताया कि भोपाल के एम्स में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि की ओर से एचओडी डॉक्टर परवेज की प्रताड़ना और हुमिलिएशन से तंग आकर बेहोश करने वाली दवाई के ओवरडोज से आत्महत्या करने वाली घटना की शिकायत प्राप्त हुई है.

मामले को दबाने का है आरोप

प्रियंक कानूनगो के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि महिला डॉक्टर की ओर से तीन बार प्रताड़ना देने वाले डॉक्टर परवेज के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने कार्यवाही नहीं की और मामले को दबाने का प्रयास किया. आखिरकार महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली." उन्होंने कहा कि शिकायत गंभीर है और संज्ञान लेकर जांच के लिए भोपाल पुलिस, एम्स भोपाल के प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है. सभी को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का जताया विश्वास

प्रियंक कानूनगो ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं. एक होनहार डॉक्टर की आत्महत्या बेहद दुखद है. दोषी को सजा दिलवाना और व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करेंगे. इससे पहले भी भोपाल एम्स में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की थी.

एम्स भोपाल के इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा 11 दिसंबर को अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गईं, उनकी पल्स रेट और हार्टबीट कमजोर थी. कथित तौर पर महिला डॉक्टर ने एनेस्थेटिक इंजेक्शन का ओवरडोज लिया था. उन्हें उसी रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 25 दिनों के बाद मौत हो गई. डॉक्टर रश्मि वर्मा की घटना में मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद ली.

## Source: [https://www.deshbandhu.co.in/delhi/a-woman-doctor-in-bhopal-committed-suicide-after-being-harassed-by-hod-parvez-the-nhrc-issued-a-notice-to-the-health-department-289813](https://www.deshbandhu.co.in/delhi/a-woman-doctor-in-bhopal-committed-suicide-after-being-harassed-by-hod-parvez-the-nhrc-issued-a-notice-to-the-health-department-289813)

भोपाल में एचओडी परवेज की प्रताड़ना से तंग महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या, एनएचआरसी ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा नोटिस

By एजेंसी 5 मार्च 2026
भोपाल में एचओडी परवेज...
नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एम्स में एक महिला डॉक्टर के आत्महत्या करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यह जानकारी दी।
प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए बताया, "भोपाल के एम्स में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि की ओर से एचओडी डॉक्टर परवेज की प्रताड़ना और हुमिलिएशन से तंग आकर बेहोश करने वाली दवाई के ओवरडोज से आत्महत्या करने वाली घटना की शिकायत प्राप्त हुई है।"
प्रियंक कानूनगो के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि महिला डॉक्टर की ओर से तीन बार प्रताड़ना देने वाले डॉक्टर परवेज के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने कार्यवाही नहीं की और मामले को दबाने का प्रयास किया। आखिरकार महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली।"
उन्होंने कहा कि शिकायत गंभीर है और संज्ञान लेकर जांच के लिए भोपाल पुलिस, एम्स भोपाल के प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। सभी को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रियंक कानूनगो ने अपनी पोस्ट में लिखा, "हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। एक होनहार डॉक्टर की आत्महत्या बेहद दुखद है। दोषी को सजा दिलवाना और व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करेंगे।"
इससे पहले भी भोपाल एम्स में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। एम्स भोपाल के इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा 11 दिसंबर को अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गईं, उनकी पल्स रेट और हार्टबीट कमजोर थी। कथित तौर पर महिला डॉक्टर ने एनेस्थेटिक इंजेक्शन का ओवरडोज लिया था। उन्हें उसी रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 25 दिनों के बाद मौत हो गई।
डॉक्टर रश्मि वर्मा की घटना में मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद ली।

## Source: https://smartkhabari.com/threads/14029/#post-14157

एचओडी की प्रताड़ना और एक्शन में देरी पर NHRC सख्त, भोपाल एम्स सुसाइड मामले में मांगा जवाब

Thread starter IANS
Start date आज 5:24 PM बजे
आज 5:24 PM बजे

भोपाल, 5 मार्च। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एम्स में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि ने अपने एचओडी परवेज पर मानसिक प्रातड़ना का आरोप लगाया। कई बार मामले की शिकायत की। लेकिन, संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई। अंत में तंग आकर असिस्टेंट प्रोफेसर ने मौत को ही गले लगा लिया।

वहीं, अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई? इस बारे में एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की।

प्रियंक कानूनगो ने गुरुवार को कहा कि हमने इस मामले में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, भोपाल पुलिस और एम्स के प्रशासन को नोटिस जारी किया है। उनसे हमने इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब की है। हमने रिपोर्ट में पूछा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तीन-तीन बार एक महिला चिकित्सक एम्स के प्रशासक को शिकायत करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी शिकायत करने के बावजूद भी कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अंत में स्थित इस कदर चुनौतीपूर्ण हो गई कि महिला चिकित्सक को मौत को ही गले लगाना पड़ गया।

प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि हमने तीनों को इस मामले में नोटिस जारी कर संतुष्टिजनक जवाब 15 दिनों के अंदर मांगा है। हमने नोटिस में मामले की गंभीरता पर सवाल उठाया और पूछा है कि आखिर इतनी बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि हमने कार्यस्थल पर मौजूद पोश कमेटी से शिकायत मांगी है। हमने शिकायत में कई सवालों के जवाब मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यह है कि इन तीन सालों में उस महिला चिकित्सक ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? इस शिकायत के अलावा दूसरे कई मामलों को लेकर उस महिला चिकित्सक ने जवाब मांगे हैं, इस बारे में भी हमने जवाब मांगे हैं। हमने इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मांगी है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी-भी डॉक्टर का इस तरह से दबावपूर्ण माहौल में काम करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अस्पताल प्रशासन इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे पास जब इस मामले के संबंध में पूरी जांच रिपोर्ट आएगी, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे।

## Source: [https://www.mpbreakingnews.in/madhya-pradesh/aiims-bhopal-assistant-professor-sb-verma-death-january-5-nhrc-march-2-action-taken-report-4555-870348](https://www.mpbreakingnews.in/madhya-pradesh/aiims-bhopal-assistant-professor-sb-verma-death-january-5-nhrc-march-2-action-taken-report-4555-870348)

NHRC पहुंचा AIIMS भोपाल की महिला डॉक्टर की मौत का मामला, आयोग ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

Written by: Banshika Sharma
Published: 5 March 2026 at 11:01 IST

AIIMS भोपाल में कार्यरत सहायक प्रोफेसर डॉ एसबी वर्मा की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। 21 जनवरी 2026 को मिली शिकायत पर 2 मार्च 2026 को सुनवाई करते हुए आयोग ने तीन संस्थाओं से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। शिकायत में कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना, प्रशासनिक निष्क्रियता और FIR दर्ज न होने के आरोप शामिल हैं।

भोपाल के AIIMS में महिला डॉक्टर की मौत से जुड़ा मामला अब संस्थान और स्थानीय प्रशासन से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर की जांची प्रक्रिया में पहुंच गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस प्रकरण में आधिकारिक दखल देते हुए AIIMS भोपाल, भोपाल पुलिस और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है।

आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, इस मामले में शिकायत 21 जनवरी 2026 को प्राप्त हुई थी और इसे 2 मार्च 2026 को विचार के लिए लिया गया। शिकायत में कहा गया कि AIIMS भोपाल में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ. एसबी वर्मा की 5 जनवरी 2026 को मौत हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मौत से पहले डॉक्टर मानसिक दबाव और कार्यस्थल के कथित विषाक्त माहौल से गुजर रही थीं।

शिकायत में क्या-क्या आरोप दर्ज हैं

दर्ज शिकायत के अनुसार, ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. मोहम्मद यूनुस के व्यवहार को लेकर संस्थान के भीतर तनावपूर्ण माहौल बना। शिकायतकर्ता ने आयोग से कहा कि डॉ. वर्मा ने अपनी मानसिक स्थिति और संस्थागत स्तर पर कथित लापरवाही को लेकर पहले भी कई ईमेल भेजे थे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं हुआ।

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिकायत में अब तक FIR दर्ज न होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही यह दावा भी किया गया कि पहले महिला डॉक्टरों से जुड़ी शिकायतों को दबाने की कोशिशें हुई थीं। इन आरोपों की पुष्टि या खंडन संबंधित एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन NHRC ने इन्हें जांच योग्य बिंदु मानते हुए औपचारिक रिपोर्ट तलब की है।

किन संस्थाओं को नोटिस, किस कानून के तहत कार्रवाई

आयोग ने AIIMS भोपाल के निदेशक, भोपाल पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत जारी किया गया है। इसी प्रावधान के आधार पर आयोग संबंधित सरकारी और संस्थागत पक्षों से तथ्यों, रिकॉर्ड, कार्रवाई की स्थिति और जवाबदेही से जुड़े बिंदुओं पर रिपोर्ट मांग सकता है।

NHRC ने स्पष्ट किया है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए उसके पास सिविल कोर्ट जैसी जांच शक्तियां हैं। इसलिए इस मामले में मांगी गई रिपोर्ट केवल औपचारिक जवाब नहीं, बल्कि बिंदुवार और रिकॉर्ड-आधारित स्थिति स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए।

“मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आयोग को सिविल कोर्ट जैसी जांच शक्तियां प्राप्त हैं।” — राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

अब आगे क्या होगा

अब प्रक्रिया का अगला चरण संबंधित संस्थाओं की ATR पर निर्भर करेगा। आयोग के नोटिस के बाद AIIMS भोपाल प्रशासन को यह बताना होगा कि डॉक्टर की ओर से भेजे गए ईमेल या शिकायतों पर क्या आंतरिक कदम उठाए गए, किस स्तर पर जांच हुई, और किस अधिकारी ने क्या निर्णय लिया। भोपाल पुलिस से अपेक्षा रहेगी कि वह FIR, प्रारंभिक जांच और कानूनी कार्रवाई की स्थिति आयोग के सामने रखे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संस्थागत निगरानी, सेवा-संबंधी सुरक्षा प्रावधान और शिकायत निवारण तंत्र के संचालन को लेकर जवाब मांगा गया है।

यह मामला केवल एक मृत्यु की जांच तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, संस्थागत जवाबदेही और महिला डॉक्टरों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई जैसे व्यापक सवाल भी इससे जुड़े हैं। NHRC के समक्ष रिपोर्ट जमा होने के बाद आयोग आगे की दिशा—अतिरिक्त पूछताछ, सिफारिश या अन्य वैधानिक कदम—तय करेगा। फिलहाल सभी संबंधित पक्षों को निर्धारित समय में अपना पक्ष और रिकॉर्ड प्रस्तुत करना है।

## Source: [https://jantaserishta.com/local/madhya-pradesh/nhrc-seeks-report-from-aiims-bhopal-and-police-in-assistant-professor-suicide-case-4622707](https://jantaserishta.com/local/madhya-pradesh/nhrc-seeks-report-from-aiims-bhopal-and-police-in-assistant-professor-suicide-case-4622707)

अिसस्टेंट प्रोफेसर सुसाइड केस में NHRC ने AIIMS भोपाल और पुलिस से मांगी रिपोर्ट

Gulabi Jagat 5 मार्च 2026
असिस्टेंट प्रोफेसर...
Bhopal , भोपाल : नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने एक शिकायत पर संज्ञान लिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि AIIMS भोपाल में एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट (HOD) द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद सुसाइड कर लिया और संबंधित अधिकारियों से 15 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है।
कमीशन की बेंच, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियांक कानूनगो कर रहे थे, ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के सेक्रेटरी, AIIMS भोपाल के डायरेक्टर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किए जाएं।
कमीशन ने अधिकारियों से आरोपों की जांच करने और 15 दिनों के अंदर FIR की कॉपी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मामले से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड समेत ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा है।
इस बीच, ANI से बात करते हुए NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा, "हमें शिकायत मिली है कि एक महिला एनेस्थेटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने HOD के हैरेसमेंट की वजह से सुसाइड कर लिया। यह घटना दो महीने पुरानी है, लेकिन शिकायत करने वाली ने कहा कि मामले में कोई सही एक्शन नहीं लिया गया। पीड़िता ने अपनी मौत से पहले अपने HOD के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन में तीन बार शिकायत की थी। आरोप हैं कि उन शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते उसने सुसाइड जैसा गंभीर कदम उठाया।"
"शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन न लेना काफी चिंता की बात है। इसलिए, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, भोपाल पुलिस और AIIMS एडमिनिस्ट्रेशन को 15 दिनों के अंदर मामले की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगने के लिए एक नोटिस भेजा है। हमने FIR कॉपी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और इंस्टिट्यूट के इंटरनल कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन प्रोसीजर के बारे में जानकारी मांगी है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट (POSH) कमेटी भी शामिल है," कानूनगो ने कहा। 2 मार्च को जारी नोटिस की कॉपी के मुताबिक, शिकायत करने वाली ने आरोप लगाया कि AIIMS भोपाल की असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत 5 जनवरी, 2026 को उनके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट द्वारा कथित तौर पर बनाए गए गंभीर मानसिक उत्पीड़न और टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से हुई। शिकायत करने वाली ने आगे आरोप लगाया कि अपनी परेशानी के बारे में ईमेल भेजने के बावजूद, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया कि कोई FIR दर्ज नहीं की गई और दूसरी महिला डॉक्टरों की पिछली शिकायतों को दबा दिया गया। शिकायत करने वाली ने कमीशन से दखल देने और मौत की हाई-लेवल इंडिपेंडेंट जांच की मांग की।
कमीशन ने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोप, पहली नज़र में, पीड़ित के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन लगते हैं और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर डिटेल्ड एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी। (ANI)

**Source: https://jantaserishta.com/national/female-doctor-commits-suicide-after-being-harassed-by-hod-nhrc-issues-notice-to-health-department-4621934**

HOD की प्रताड़ना से तंग महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या, NHRC ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा नोटिस |

jantaserishta.com 5 मार्च 2026
HOD की प्रताड़ना से...
नोटिस जारी.
नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एम्स में एक महिला डॉक्टर के आत्महत्या करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यह जानकारी दी।
प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए बताया, "भोपाल के एम्स में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि की ओर से एचओडी डॉक्टर परवेज की प्रताड़ना और हुमिलिएशन से तंग आकर बेहोश करने वाली दवाई के ओवरडोज से आत्महत्या करने वाली घटना की शिकायत प्राप्त हुई है।"
प्रियंक कानूनगो के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि महिला डॉक्टर की ओर से तीन बार प्रताड़ना देने वाले डॉक्टर परवेज के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने कार्यवाही नहीं की और मामले को दबाने का प्रयास किया। आखिरकार महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली।"
उन्होंने कहा कि शिकायत गंभीर है और संज्ञान लेकर जांच के लिए भोपाल पुलिस, एम्स भोपाल के प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। सभी को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रियंक कानूनगो ने अपनी पोस्ट में लिखा, "हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। एक होनहार डॉक्टर की आत्महत्या बेहद दुखद है। दोषी को सजा दिलवाना और व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करेंगे।"
इससे पहले भी भोपाल एम्स में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। एम्स भोपाल के इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा 11 दिसंबर को अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गईं, उनकी पल्स रेट और हार्टबीट कमजोर थी। कथित तौर पर महिला डॉक्टर ने एनेस्थेटिक इंजेक्शन का ओवरडोज लिया था। उन्हें उसी रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 25 दिनों के बाद मौत हो गई। डॉक्टर रश्मि वर्मा की घटना में मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद ली।

## Source: https://bansalnews.com/madhya-pradesh/bhopal/bhopal-aiims-dr-rashmi-verma-suicide-case-nhrc-notice-investigation-report-hindi-news-zvj-11176972

AIIMS Bhopal: डॉक्टर सुसाइड केस में मानवाधिकार आयोग सख्त, स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स डायरेक्टर को नोटिस, 15 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

भोपाल एम्स की डॉ. रश्मि वर्मा सुसाइड केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स प्रबंधन और भोपाल पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने विस्तृत जांच रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी मांगी है।
Vikram Jain
05 Mar 2026 13:22 IST
AIIMS BhopalDoctor Suicide Case: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के के इमरजेंसी विभाग में तैनात रहीं महिला असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा की आत्महत्या के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। विभागाध्यक्ष (HOD) पर प्रताड़ना के गंभीर आरोपों और संस्थान द्वारा शिकायतों को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोपों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस प्रकरण में संस्थागत जवाबदेही तय करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स प्रबंधन और भोपाल पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट, POSH कमेटी की कार्यवाही और एफआईआर की कॉपी मांगी है।
मानवाधिकार आयोग का स्वतः संज्ञान
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भोपाल में पदस्थ महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की द्वारा खुदकुशी किए जाने के मामले में न्याय की उम्मीद तेज हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की पीठ ने इस दुखद घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस थमाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर प्रताड़ना के कारण किसी चिकित्सक का ऐसा कदम उठाना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है।
बता दें कि महिला डॉक्टर की इलाज के दौरान 5 जनवरी की मौत हो गई थी। 11 दिसंबर को तनाव के चलते उठाए गए एक आत्मघाती कदम के बाद से वे पिछले 23 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें एनेस्थीसिया ओवरडोज के कारण 7 मिनट तक धड़कन रुकने से गंभीर ब्रेन डैमेज हुआ था। इस दुखद मौत ने एक बार फिर मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टरों पर बढ़ते मानसिक दबाव और एम्स के काम करने के तनावपूर्ण माहौल (Toxic Work Culture) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
HOD पर प्रताड़ना और अपमान के आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. रश्मि ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग में कार्यरत थीं। आरोप है कि विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और पेशेवर काम में बाधा डालना जैसे गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। बताया जा रहा है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) का ओवरडोज लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
NHRC ने मांगी 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट
आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले की गंभीरता को उजागर किया। आयोग ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी मांगी है:
POSH (Prevention of Sexual Harassment) कमेटी की रिपोर्ट: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना रोकने के लिए बनी आंतरिक समिति ने डॉक्टर की शिकायतों पर क्या कदम उठाए?
पुरानी शिकायतों का ब्यौरा: बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने पहले भी तीन बार शिकायत की थी, जिसे प्रबंधन ने दबा दिया। आयोग इसकी पड़ताल करेगा।
दस्तावेजी प्रमाण: आयोग ने दर्ज एफआईआर की कॉपी और विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तलब की है।
संस्थागत लापरवाही आएगी जांच के दायरे में
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल एम्स प्रबंधन की भूमिका पर उठ रहा है। यदि महिला डॉक्टर ने पहले शिकायतें की थीं, तो उन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या यह केवल एक व्यक्ति की प्रताड़ना का मामला है या पूरे संस्थान का तंत्र विफल रहा है।
पुलिस जांच और एफआईआर पर नजर

भोपाल पुलिस को भी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment to Suicide) की धाराओं के तहत अब तक क्या साक्ष्य जुटाए गए हैं और क्या दोषियों के खिलाफ पर्याप्त कानूनी कार्रवाई की गई है।

Lalluram, Online News, 06/03/2026

## Source: [https://lalluram.com/aiims-hod-doctors-harassment-case-nhrc-takes-cognizance-of-suicide-of-female-assistant-professor/](https://lalluram.com/aiims-hod-doctors-harassment-case-nhrc-takes-cognizance-of-suicide-of-female-assistant-professor/)

एम्स में HOD डॉक्टर की प्रताड़ना की मामलाः महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की आत्महत्या के मामले में NHRC ने संज्ञान लिया

Satyanarayan Shukla 05 Mar 2026, 12:50 PM
मध्यप्रदेश
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स में डॉक्टर प्रताड़ना मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एम्स भोपाल के संचालक और भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी।
FIR और PM की रिपोर्ट भी दिल्ली तलब
प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव एम्स भोपाल के संचालक और भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। पॉश कमेटी की पूरी जानकारी, FIR और PM की रिपोर्ट भी दिल्ली तलब की गई है।
यह था मामला
भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा ने 11 दिसंबर 2025 को आत्महत्या की थी। मामले ने संस्थान में हड़कंप मचा दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था और ट्रॉमा एवं इमरजेंसी विभाग के HOD डॉ. यूनुस को पद से हटा दिया था। डॉ युनूस पर प्रताड़ना के आरोप लगे थे। घटना दिनांक को डॉ. रश्मि वर्मा ने ड्यूटी पूरी कर घर लौटने के बाद एनेस्थीसिया की हाई डोज इंजेक्ट कर लिया, इससे उनका दिल करीब 7 मिनट तक बंद रहा, जिससे ब्रेन को गंभीर नुकसान पहुंचा। MRI रिपोर्ट में ग्लोबल हाइपोक्सिया ब्रेन डैमेज की पुष्टि हुई थी। डॉ रश्मि का करीब 3 सप्ताह से ज्यादा तक इलाज चला था लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

Lokshakti, Online News, 06/03/2026

## Source: [https://lokshakti.in/india/bhopal-aiims-doctor-suicide-nhrc-notices-over-hod-harassment/](https://lokshakti.in/india/bhopal-aiims-doctor-suicide-nhrc-notices-over-hod-harassment/)

भोपाल एम्स में एचओडी प्रताड़ना से महिला डॉक्टर की आत्महत्या, एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस

By Lok Shakti March 5, 20262 Mins Read

भोपाल के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल में एक और दर्दनाक घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सृष्टि ने कथित तौर पर अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर नशीली दवा का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भोपाल पुलिस, अस्पताल प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस थमा दिया है।

एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया कि शिकायत में डॉक्टर सृष्टि द्वारा तीन बार प्रताड़ना की शिकायत करने के बावजूद प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मामले को दबाने की कोशिश की गई। आखिरकार, टूट चुकी डॉक्टर ने यह कदम उठा लिया।

कानूनगो ने कहा, 'यह शिकायत बेहद गंभीर है। सभी पक्षों को जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। एक होनहार डॉक्टर का नुकसान अत्यंत दुखद है। दोषियों को सजा दिलाना और व्यवस्था में सुधार हमारा संकल्प है।'

इससे पहले भी एम्स भोपाल में ऐसी ही घटना घटी थी। इमरजेंसी विभाग की डॉक्टर रश्मि वर्मा 11 दिसंबर को हॉस्टल रूम में बेहोश मिलीं। नशीली इंजेक्शन के ओवरडोज से उनकी हालत गंभीर हो गई। 25 दिनों की जद्दोजहद के बाद उनकी मौत हो गई। मौके से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया।

ये लगातार हो रही घटनाएं चिकित्सा संस्थानों में कार्यस्थल पर उत्पीड़न और मानसिक तनाव की गंभीर समस्या उजागर करती हैं। उम्मीद है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न हों।

**Source: https://hindi.opindia.com/news-updates/madhya-pradesh-bhopal-aiims-hod-dr-parvez-mental-harassment-insult-hindu-woman-doctor-unconscious-drug-overdose-suicide-nhrc-notice/**

HOD डॉ परवेज की प्रताड़ना से तंग आकर AIIMS की हिंदू महिला डॉक्टर ने दी जान, मानसिक दबाव के चलते लिया दवा का ओवरडोज: 3 शिकायतों पर भी चुप रहा प्रबंधन, NHRC ने माँगा जवाब

March 5, 2026 | 11:42 AM

मध्य प्रदेश के भोपाल एम्स (AIIMS) में एक हिंदू महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि संस्थान के विभागाध्यक्ष (HOD) डॉ परवेज द्वारा लगातार किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न और अपमान से तंग आकर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सृष्टि ने बेहोश करने वाली दवा का ओवरडोज लेकर अपनी जान दे दी। इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाते हुए भोपाल पुलिस, एम्स प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

तीन बार शिकायत, पर नहीं हुई कार्रवाई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि डॉ सृष्टि ने आत्महत्या से पहले तीन बार डॉ परवेज के खिलाफ अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की थी। आरोप है कि प्रबंधन ने आरोपित डॉक्टर पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की। इसी प्रताड़ना और प्रशासनिक अनदेखी के कारण महिला डॉक्टर मानसिक रूप से टूट गईं और उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया।

NHRC ने लिया सख्त संज्ञान

आयोग को मिली शिकायत के अनुसार, डॉ परवेज डॉक्टर सृष्टि को लगातार अपमानित करते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रियंक कानूनगो ने कहा कि एक डॉक्टर का इस तरह आत्महत्या करना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग ने अब भोपाल पुलिस और एम्स प्रशासन से पूछा है कि शिकायतों के बावजूद आरोपित पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया।

क्या है पूरा मामला?

डॉ सृष्टि एम्स भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थीं। बताया जा रहा है कि विभागाध्यक्ष डॉ परवेज के साथ उनके पेशेवर संबंध तनावपूर्ण थे और उन्हें बार-बार नीचा दिखाया जा रहा था। मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से मिलने वाली बेहोश करने वाली दवा के ओवरडोज का सहारा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में निष्पक्ष जाँच और आरोपित की जवाबदेही तय करने की माँग उठ रही है।

## Source: [https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/national-human-rights-commission-issued-notice-to-bhopal-aiims-and-police-seeking-response-within-15-days/articleshow/129071688.cms](https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/national-human-rights-commission-issued-notice-to-bhopal-aiims-and-police-seeking-response-within-15-days/articleshow/129071688.cms)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भोपाल एम्स और पुलिस को जारी किया नोटिस, 15 दिनों के अंदर मांगा जवाब

Edited by: मुनेश्वर कुमार | आईएएनएस•5 Mar 2026, 11:21 am IST

NHRC Notice To Bhopal Aiims: भोपाल एम्स में महिला डॉक्टर की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस भोपाल पुलिस और एम्स प्रबंधन को जारी किया गया है। साथ ही 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एम्स में एक महिला डॉक्टर के आत्महत्या करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यह जानकारी दी। डॉक्टर ने विभाग के एचओडी पर प्रताड़ना के आरोप लगाकर घातक कदम उठाया था।

अस्पताल प्रबंधन नहीं कर रही कार्रवाई

प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए बताया कि भोपाल के एम्स में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि की ओर से एचओडी डॉक्टर परवेज की प्रताड़ना और हुमिलिएशन से तंग आकर बेहोश करने वाली दवाई के ओवरडोज से आत्महत्या करने वाली घटना की शिकायत प्राप्त हुई है। प्रियंक कानूनगो के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि महिला डॉक्टर की ओर से तीन बार प्रताड़ना देने वाले डॉक्टर परवेज के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने कार्यवाही नहीं की और मामले को दबाने का प्रयास किया। आखिरकार महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली।

भोपाल पुलिस और एम्स प्रबंधन को नोटिस जारी किया

उन्होंने कहा कि शिकायत गंभीर है और संज्ञान लेकर जांच के लिए भोपाल पुलिस, एम्स भोपाल के प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। सभी को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रियंक कानूनगो ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। एक होनहार डॉक्टर की आत्महत्या बेहद दुखद है। दोषी को सजा दिलवाना और व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करेंगे।

डॉ रश्मि वर्मा ने भी दी थी जान

इससे पहले भी भोपाल एम्स में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। एम्स भोपाल के इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा 11 दिसंबर को अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गईं, उनकी पल्स रेट और हार्टबीट कमजोर थी। कथित तौर पर महिला डॉक्टर ने एनेस्थेटिक इंजेक्शन का ओवरडोज लिया था। उन्हें उसी रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 25 दिनों के बाद मौत हो गई।

एम्स प्रबंधन पर उठ रहे सवाल

भोपाल एम्स कई वजहों से सुर्खियों में रहता

एम्स में दवाई की खरीद को लेकर भी उठे थे सवाल

महिला डॉक्टरों ने प्रताड़ना के लगाए आरोप

लिफ्ट से मंगलसूत्र छीनने को लेकर भी एम्स की चर्चा

डॉक्टर रश्मि वर्मा की घटना में मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद ली। गौरतलब है कि ऐसे आरोपों को लेकर भोपाल एम्स प्रबंधन लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। अब देखना होगा कि एम्स प्रबंधन क्या जवाब देता हैं

**Source: https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/bhopal-news-national-human-rights-commission-strict-on-the-death-of-female-doctor-in-aiims-sought-action-rep-2026-03-05**

Bhopal news: एम्स में महिला डॉक्टर की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, 15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Thu, 05 Mar 2026 10:41 AM IST

सार

भोपाल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एम्स भोपाल में महिला सहायक प्राध्यापक की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने भोपाल पुलिस आयुक्त और संस्थान प्रशासन से 15 दिन के भीतर प्राथमिकी, शव परीक्षण रिपोर्ट और की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी है। शिकायत में महिला डॉक्टर के साथ मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए।

विस्तार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एम्स भोपाल में कार्यरत एक महिला सहायक प्राध्यापक की मौत के मामले में गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले की जांच के निर्देश देते हुए 15 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 5 जनवरी 2026 को महिला डॉक्टर की मौत लंबे समय से हो रहे मानसिक उत्पीड़न और खराब कार्य वातावरण के कारण हुई। शिकायत के अनुसार ट्रॉमा एवं आपातकालीन चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद यूनुस पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं।

महिला डॉक्टरों की शिकायतों को दबाया

शिकायत में बताया गया है कि पीड़ित डॉक्टर ने अपनी परेशानी को लेकर तीन बार ई-मेल के माध्यम से संस्थान के अधिकारियों को जानकारी दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संस्थान में पहले भी महिला डॉक्टरों की शिकायतों को दबाया गया और इस मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

पुलिस आयुक्त और एम्स भोपाल के निदेशक को दिए निर्देश

मामले को गंभीर मानते हुए आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने भोपाल के पुलिस आयुक्त और एम्स भोपाल के निदेशक को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच कर प्राथमिकी, शव परीक्षण रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज आयोग को उपलब्ध कराएं।

3 वर्षों की शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का विवरण मांगा

इसके साथ ही एम्स प्रशासन से संस्थान की यौन उत्पीड़न निवारण समिति की जानकारी, पिछले तीन वर्षों में मिली शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का पूरा विवरण भी मांगा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

**Source: [https://www.starsamachar.com/Doctor-commits-suicide-in-AIIMS:-National-Human-Rights-Commission-reports-Talab](https://www.starsamachar.com/Doctor-commits-suicide-in-AIIMS:-National-Human-Rights-Commission-reports-Talab)**

एम्स में डॉक्टर ने की आत्महत्या:  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तालब की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के इमरजेंसी विभाग में तैनात रहीं महिला असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा की आत्महत्या के केस ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है।

By: Arvind Mishra

Mar 05, 20262:38 PM

स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स डायरेक्टर और पुलिस को नोटिस

आयोग ने जांच रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी मांगी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के इमरजेंसी विभाग में तैनात रहीं महिला असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा की आत्महत्या के केस ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ना के गंभीर आरोपों और संस्थान द्वारा शिकायतों को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोपों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने इस प्रकरण में संस्थागत जवाबदेही तय करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स प्रबंधन और भोपाल पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट, पीओएसएच कमेटी की कार्यवाही और एफआईआर की कॉपी मांगी है।

23 दिन वेंटिलेटर पर थीं रश्मि

गौरतलब है कि महिला डॉक्टर की इलाज के दौरान 5 जनवरी की मौत हो गई थी। 11 दिसंबर को तनाव के चलते उठाए गए एक आत्मघाती कदम के बाद से वे पिछले 23 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें एनेस्थीसिया ओवरडोज के कारण 7 मिनट तक धड़कन रुकने से गंभीर ब्रेन डैमेज हुआ था। इस दुखद मौत ने एक बार फिर मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टरों पर बढ़ते मानसिक दबाव और एम्स के काम करने के तनावपूर्ण माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मानवाधिकार आयोग का स्वत: संज्ञान

एम्स भोपाल में पदस्थ महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की द्वारा खुदकुशी किए जाने के मामले में न्याय की उम्मीद तेज हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने इस दुखद घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस थमाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर प्रताड़ना के कारण किसी चिकित्सक का ऐसा कदम उठाना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है।

एचओडी पर प्रताड़ना और अपमान के आरोप

डॉ. रश्मि ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग में कार्यरत थीं। आरोप है कि विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद यूनुस द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और पेशेवर काम में बाधा डालना जैसे गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। बताया जा रहा है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) का ओवरडोज लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

आयोग सख्त- मांगी 15 दिन में रिपोर्ट

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले की गंभीरता को उजागर किया। आयोग ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी मांगी है...।

कमेटी की रिपोर्ट: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना रोकने के लिए बनी आंतरिक समिति ने डॉक्टर की शिकायतों पर क्या कदम उठाए।

पुरानी शिकायतों का ब्यौरा:  डॉक्टर ने पहले भी तीन बार शिकायत की थी, जिसे प्रबंधन ने दबा दिया। आयोग इसकी पड़ताल करेगा।

दस्तावेजी प्रमाण: मानवाधिकार आयोग ने दर्ज एफआईआर की कॉपी और विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तलब की है।

जांच के दायरे में एम्स प्रबंधन की भूमिका

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल एम्स प्रबंधन की भूमिका पर उठ रहा है। यदि महिला डॉक्टर ने पहले शिकायतें की थीं, तो उन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या यह केवल एक व्यक्ति की प्रताड़ना का मामला है या पूरे संस्थान का तंत्र विफल रहा है। वहीं भोपाल पुलिस को भी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत अब तक क्या साक्ष्य जुटाए गए हैं और क्या दोषियों के खिलाफ पर्याप्त कानूनी कार्रवाई की गई है।

**Source: https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/indore-nhrc-notice-indore-sewer-death-national-human-rights-commission-suo-motu-sewer-accident2026-8429813**

कागजों पर सुरक्षा, चैंबर में मौत... NHRC ने इंदौर पुलिस और निगम से मांगा 2 मार्च के हादसे का पूरा हिसाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर में सीवर चैंबर में हुई दो मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

By Kuldeep Bhawsar Edited By: ADITYA KUMAR

Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 09:02:24 PM (IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 09:02:24 PM (IST)

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर में सीवर चैंबर में हुई दो मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन दोनों से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि दोनों आयुक्त बताएं कि इस मामले में जांच की स्थिति क्या है। पीड़ितों के स्वजन को अगर कोई मुआवजा दिया गया हो तो उसका विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

जहरीली गैस की चपेट में आने से गई जान

गौरतलब है कि 2 मार्च 2026 को इंदौर के चोइथराम मंडी क्षेत्र में सीवेज चैंबर में उतरे दो कर्मचारियों की मौत हो गई थी। ये कर्मचारी सीवर चैंबर में गिरे पाइप के एक टुकड़े को निकालने के लिए चैंबर के कक्ष में घुसे थे, तभी जहरीली गैसों के कारण वे बेहोश हो गए। उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मानवाधिकार उल्लंघन पर आयोग की टिप्पणी

समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त और पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए।

Univarta, Online News, 06/03/2026

**Source: https://www.univarta.com/news/india/story/3763360.html**

एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश में दो सफाई कर्मचारियों की मौत का स्वतः संज्ञान लिया

Uniindia News Service
भारत Posted at: Mar 5 2026 8:10PM
नयी दिल्ली 05 मार्च (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि दो मार्च को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सीवर कक्ष में दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई।
एनएचआरसी ने आज बताया कि आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य, यदि सत्य हैं, तो पीड़ितों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन हैं।
इस मामले में आयोग ने इंदौर नगर निगम और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति और पीड़ितों के परिजनों को दिए गए मुआवजे ( यदि कोई हो) का विवरण मांगा गया है।
विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवाएं लें।.

Dainik Bhaskar, Online News, 06/03/2026

**Source: [https://www.bhaskar.com/local/mp/vidisha/sironj/news/mp-police-file-case-4-encroachers-fisherman-rights-sirnj-137359142.html](https://www.bhaskar.com/local/mp/vidisha/sironj/news/mp-police-file-case-4-encroachers-fisherman-rights-sirnj-137359142.html)**

मानवाधिकार आयोग सदस्य कानूनगो पीड़ित को लेकर पहुंचे थाने: पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया; मछुआरा समाज को मिला हक

सिरोंज 15 मिनट पहले

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सिरोंज का दौरा किया। उन्होंने सिरोंज के सरकारी तालाबों पर दबंगों के अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया, जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई से मछुआरा समाज को उनका हक मिल गया है।

कानूनगो 5 मार्च को सिरोंज पहुंचे थे। वे मछुआरा समुदाय के मत्स्य पालन कार्य के शुभारंभ अवसर पर शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने प्रशासन से अवैध कब्जों पर कार्रवाई की मांग की थी।

कानूनगो ने मीडिया को बताया कि सरकारी नीति के अनुसार, केवट, भोई, मल्लाह, कहार और आदिवासी जैसे वंशानुगत रूप से मछली पालन करने वाले समाज ही सरकारी तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य करेंगे। हालांकि, सिरोंज के केथन डैम और जवारी डैम पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिससे पात्र समुदाय मछली पालन नहीं कर पा रहे थे।

केथन डैम को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर मछुआरा समाज समिति को सौंप दिया गया है। समिति ने 5 मार्च से अपना कार्य शुरू कर दिया है। प्रियंक कानूनगो इसी कार्य के शुभारंभ पूजन में शामिल होने सिरोंज पहुंचे थे।

जवारी डैम पर भी कुछ दबंगों का कब्जा था, जो कपिल केवट को मत्स्य पालन करने से रोक रहे थे। इस मामले में कानूनगो पीड़ित कपिल केवट के साथ सिरोंज थाने गए और रिपोर्ट दर्ज कराई।

तीन भाइयों समेत चौकीदार पर FIR

थाना प्रभारी (टीआई) विमलेश राय ने बताया कि जवारी डैम पर काबिज तीन भाइयों और उनके चौकीदार सहित कुल चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(1), 351(4), 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जाएंगे।

कानूनगो ने सिरोंज प्रशासन और पुलिस से अपील की कि वे दलित और गरीब लोगों के हितों का ध्यान रखें, उन्हें संरक्षण प्रदान करें और स्थिति को बिगड़ने न दें।

## Source: [https://www.bhopalsamachar.com/2026/03/aiims-bhopal-doctor-rashmi-suicide-case-nhrc-seeks-report.html](https://www.bhopalsamachar.com/2026/03/aiims-bhopal-doctor-rashmi-suicide-case-nhrc-seeks-report.html)

AIIMS BHOPAL भोपाल का डॉक्टर यूनुस द्वारा प्रताड़ित डॉ रश्मि सुसाइड केस, मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी

Updesh Awasthee
3/05/2026 06:04:00 PM5 minute read

भोपाल, 5 मार्च 2026 : गरीबों के लिए भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर रश्मि वर्मा सुसाइड केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा AIIMS BHOPAL, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भोपाल पुलिस को नोटिस जारी करके जांच रिपोर्ट मांगी है। यहां उल्लेख करना जरूरी है कि, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग के तत्कालीन HOD डॉ. मोहम्मद यूनुस द्वारा लगातार प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान से परेशान होकर डॉ रश्मि ने बेहोशी की दवाइयों का ओवरडोज लेकर जान दे दी थी।

आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, एम्स भोपाल के निदेशक और भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट में संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति (POSH कमेटी) द्वारा की गई कार्यवाही का पूरा विवरण, दर्ज एफआईआर की प्रति और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शामिल की जाए।

POSH कमेटी की भूमिका पर निगाह, आरोप होंगे तय

आयोग ने विशेष रूप से संस्थान की POSH (Prevention of Sexual Harassment) कमेटी की कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है। यह कमेटी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित शिकायतों की जांच के लिए गठित की जाती है। यदि शिकायत दर्ज होने के बावजूद उचित जांच या कार्रवाई नहीं हुई, तो यह नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। ऐसे में जिम्मेदारी केवल आरोपित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संस्थागत तंत्र भी जवाबदेह होगा।

पुलिस जांच भी डाउटफुल

भोपाल पुलिस से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यह देखा जाएगा कि आत्महत्या के लिए उकसाने, मानसिक प्रताड़ना या अन्य संबंधित धाराओं के तहत क्या कदम उठाए गए। जांच का दायरा अब व्यापक हो चुका है। आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि कहीं प्रारंभिक स्तर पर मामले को हल्के में तो नहीं लिया गया।

15 दिन बाद सामने आएगी सच्चाई

अब सभी की नजरें आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं। 15 दिनों के भीतर आने वाली यह रिपोर्ट तय करेगी कि आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई किस दिशा में जाएगी। आयोग की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार की ओर से भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की गई है। उनका कहना है कि यदि समय पर शिकायतों पर ध्यान दिया जाता, तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी।

डॉ रश्मि वर्मा कौन थी

वर्तमान परिवेश में, जब डॉक्टर एक बिजनेसमैन की तरह अपनी पढ़ाई के खर्चे को इन्वेस्टमेंट और अपने नोबल प्रोफेशन को रिटर्न हासिल करने का जरिया बताते हैं, डॉक्टर रश्मि गरीबों के लिए भगवान का दूसरा नाम थी। एक तो डॉक्टर रश्मि खुद काफी योग्य और प्रतिभावान डॉक्टर थी। रिसर्च के लिए उन्हें कहीं पुरस्कार भी मिल चुके थे। देश में उनका नाम और सम्मान था। वहीं दूसरी ओर वह अपनी सैलरी से गरीबों के लिए दवाइयां खरीद लेती थी, और इसके बदले में सोशल मीडिया पर कोई अपडेट भी नहीं करती थी।

मानो किसी ने उनकी dignity को चूर-चूर कर दिया हो

24 दिन तक मौत से संघर्ष के बाद 5 जनवरी 2026 को डॉक्टर रश्मि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 12 दिसंबर 2025 को, डॉ रश्मि वर्मा ने ड्यूटी के बाद घर जाकर एक हाई डोज इंजेक्शन खुद को लगाया। शाम करीब 5 बजे डॉ. रश्मि को "सीरियस मिसकंडक्ट" टाइटल वाला नोटिस थमाया गया। ये नोटिस पढ़ते ही उनका मन टूट गया, मानो किसी ने उनकी dignity को चूर-चूर कर दिया हो। नोटिस और उसके attachments सामने आने के बाद बहस छिड़ गई है। क्या ये सिर्फ administrative action था, या इसके पीछे departmental rivalry का काला खेल खेला जा रहा था? डॉ. रश्मि ने अपने written reply में साफ कहा कि ये language painful, humiliating और mentally shattering थी। उन्होंने जोर देकर बताया कि उन्होंने कभी intentionally rules तोड़े नहीं, लेकिन इस नोटिस ने उन्हें deep stress में धकेल दिया। एक डॉक्टर जो patient की जान बचाने के लिए रात-दिन मेहनत करती हैं, उसी को institution से ऐसा झटका, ये fairness कहां है?

HOT के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था

डॉ. रश्मि ने 25 से 27 सितंबर तक की academic leave को लेकर भी अपनी side रखी थी। उन्होंने clarify किया कि 25 अगस्त को ही faculty

group में conference के लिए inform कर दिया था, जैसा departmental guidelines में है। उनका दावा है कि HOD ने ये message देखा था, और इसके proof में faculty group के screenshots attach किए। फिर भी, नोटिस आया। ये देखकर लगता है कि छोटी-छोटी बातों को तूल देकर प्रताड़ित किया जा रहा था।

डॉ. मोहम्मद यूनुस की तानाशाही का सबूत

इसी बीच विभाग से एक और notice जारी हुआ, जिसमें डॉ. भूपेश्वरी पटेल और डॉ. बाबूलाल को छोड़कर बाकी सभी faculty को HOD डॉ. मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए prior appointment लेना compulsory कर दिया गया। Appointment के लिए DEO नितेश कुमार पांडेय से contact करना होगा, उनका mobile number और email ID भी notice में दिया गया। यहां सवाल तो बनता है की फैकल्टी को अपने ही विभाग के अध्यक्ष से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट क्यों लेना पड़ेगा। दो डॉक्टरों ने ऐसी कौन सी मेरिट हासिल कर ली है जो उनको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। दरअसल, मोहम्मद यूनुस, फैकल्टी को प्रताड़ित करना चाहते हैं और यह तभी हो सकता है जब फैकल्टी की समस्याओं की सुनवाई बंद कर दी जाए।

यदि फैकल्टी को अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलना है तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है, डीन काफी है।

Dainik Bhaskar, Online News, 06/03/2026

## Source: [https://www.bhaskarhindi.com/other/bhopal-aiims-atmahatya-maamle-mein-nhrc-ne-liya-sangyan-notice-jaari-kar-maanga-jawab-1260659](https://www.bhaskarhindi.com/other/bhopal-aiims-atmahatya-maamle-mein-nhrc-ne-liya-sangyan-notice-jaari-kar-maanga-jawab-1260659)

भोपाल एम्स आत्महत्या मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

By 5 मार्च 2026

भोपाल, 5 मार्च (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एम्स में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि ने अपने एचओडी परवेज पर मानसिक प्रातड़ना का आरोप लगाया। कई बार मामले की शिकायत की। लेकिन, संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई। अंत में तंग आकर असिस्टेंट प्रोफेसर ने मौत को ही गले लगा लिया। वहीं, अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई? इस बारे में एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की।

प्रियंक कानूनगो ने गुरुवार को कहा कि हमने इस मामले में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, भोपाल पुलिस और एम्स के प्रशासन को नोटिस जारी किया है। उनसे हमने इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब की है। हमने रिपोर्ट में पूछा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तीन-तीन बार एक महिला चिकित्सक एम्स के प्रशासक को शिकायत करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी शिकायत करने के बावजूद भी कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अंत में स्थित इस कदर चुनौतीपूर्ण हो गई कि महिला चिकित्सक को मौत को ही गले लगाना पड़ गया।

प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि हमने तीनों को इस मामले में नोटिस जारी कर संतुष्टिजनक जवाब 15 दिनों के अंदर मांगा है। हमने नोटिस में मामले की गंभीरता पर सवाल उठाया और पूछा है कि आखिर इतनी बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि हमने कार्यस्थल पर मौजूद पोश कमेटी से शिकायत मांगी है। हमने शिकायत में कई सवालों के जवाब मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यह है कि इन तीन सालों में उस महिला चिकित्सक ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? इस शिकायत के अलावा दूसरे कई मामलों को लेकर उस महिला चिकित्सक ने जवाब मांगे हैं, इस बारे में भी हमने जवाब मांगे हैं। हमने इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मांगी है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी-भी डॉक्टर का इस तरह से दबावपूर्ण माहौल में काम करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अस्पताल प्रशासन इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे पास जब इस मामले के संबंध में पूरी जांच रिपोर्ट आएगी, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे।